महर्षि दयानन्द सरस्वती की
उत्तराधिकारिणी परोपकारिणी सभा
का मुख पत्र

ओ३म्

विद्याविलासमनसो धृतशीलशिक्षाः,
सत्यव्रता रहितमानमलापहाराः।
संसारदुःखदलनेन सुभूषिता ये,
धन्या नरा विहितकर्म परोपकाराः।।

वर्ष : ६१ **अंक** : १७
दयानन्दाब्द: १९५
विक्रम संवत्: भाद्रपद शुक्ल २०७६
कलि संवत्: ५१२०
सृष्टि संवत्: १,९६,०८,५३,१२०

सम्पादक
डॉ. सुरेन्द्र कुमार

प्रकाशक- परोपकारिणी सभा,
केसरगंज, अजमेर- ३०५००१
दूरभाष: ०१४५-२४६०१६४

मुद्रक-मन्त्री, परोपकारिणी सभा
वैदिक यन्त्रालय, अजमेर।
दूरभाष : ०१४५-२४६०८३१

परोपकारी का शुल्क
भारत में
एक वर्ष-३०० रु.
पाँच वर्ष-१२०० रु.
आजीवन -३००० रु.
एक प्रति - १५/- रु.
विदेश में
वार्षिक-५० यू.के. पाउण्ड/८० यू.एस.डॉलर
द्विवार्षिक-९५ पाउण्ड/१५२ डॉलर
त्रिवार्षिक-१४० पाउण्ड/२२५ डॉलर
आजीवन (१५वर्ष)-५००पा./८०० डॉ.
एक प्रति - ३ पाउण्ड
एक प्रति - ४ डॉलर

वैदिक पुस्तकालय : ०१४५-२४६०१२०
ऋषि उद्यान : ०१४५-२६२१२७०

RNI. No. ३९५९ / ५९

i jki dkjh

सितम्बर प्रथम २०१९

अनुक्रम

०१. मोदी जी को बहुसंख्यक समाज...	सम्पादकीय	०४
०२. मृत्यु सूक्त-३६	डॉ. धर्मवीर	०७
०३. शङ्का समाधान- ५४	डॉ. वेदपाल	१०
०४. कुछ तड़प-कुछ झड़प	प्रा. राजेन्द्र 'जिज्ञासु'	११
०५. बचेगा कौन यदि राष्ट्र ही मर जाये?	पी.के.चटर्जी	१५
०६. सनातनियों के कुछ उत्तरित....	डॉ. रामप्रकाश वर्णी	१९
०७. योग-साधना एवं स्वाध्याय शिविर		२२
०८. संस्था की ओर से...		२४
०९. १३६ वाँ ऋषि बलिदान समारोह		२७
१०. वेदगोष्ठी-२०१९		२८
११. 'सत्यार्थ प्रकाश' प्रचार महायज्ञ में आपकी आहुति		३०
१२. चक्रव्यूह	अंकित 'प्रभाकर'	३१
१३. पुस्तक - समीक्षा		३३
१४. संस्था - समाचार		३४

www.paropkarinisabha.com
email : psabhaa@gmail.com

उपनिषद्, दर्शन, प्रवचन आदि सुनने हेतु बटन दबाएँ
www.paropkarinisabha.com→gallery→videos

'परोपकारी' पत्रिका में प्रकाशित सभी आलेखों में व्यक्त विचार लेखकों के निजी हैं। इन्हें सम्पादकीय नीति नहीं समझा जाये।
किसी भी विवाद की परिस्थिति में न्यायक्षेत्र अजमेर ही होगा।

सम्पादकीय

मोदी जी को बहुसंख्यक समाज के लिए भी योजनाएँ लानी चाहिएँ

लोकसभा चुनाव २०१९ तक भारत की राजनीति में प्रायः सुना जाने वाला '**तुष्टीकरण**' शब्द, चुनाव के बाद प्रधानमन्त्री मोदी द्वारा नया नारा 'सबका साथ-सबका विकास-सबका विश्वास' घोषित किये जाने पर लगता था कि अब वर्तमान सरकार की कार्यप्रणाली में यह शब्द प्रचलन से बाहर हो जायेगा और उसके स्थान पर '**सर्वसमाज तुष्टीकरण**' शब्द प्रचलित हो जायेगा। किन्तु विगत दिनों घटनाक्रम ऐसा घटित हुआ कि '**तुष्टीकरण**' शब्द और अधिक व्यापकता से छा गया। विजय के बाद कुछ प्रदेशों की सरकारों ने अल्पसंख्यक समुदाय-विशेषों के लिए तुष्टीकरण की झड़ी लगा दी। ऐसा अनुभव हो रहा था जैसे हम किसी भारतीय प्रदेश के नहीं किसी समुदाय-विशेष के देशों का बजट सुन रहे हैं। समाचार-पत्रों और सोशल मीडिया पर राँची शहर (झारखण्ड) का एक समाचार सुर्खियों में आया कि वहाँ के एक जज महोदय ने, सोशल मीडिया पर एक मुस्लिम व्यक्ति द्वारा हिन्दुओं के लिए धमकी-भरी पोस्ट डालने के प्रत्युत्तर में कथित आपत्तिपूर्ण पोस्ट डालने के कारण एक हिन्दू लड़की को पाँच **कुरान** बाँटने की शर्त पर जेल से रिहा करने का फैसला सुनाया है। फिर चर्चा में यह समाचार आया कि मोदी जी ने धार्मिक आधार पर अल्पसंख्यक माने गये समुदायों के लिए करोड़ों रुपयों की अनेक लाभकारी योजनाएँ घोषित की हैं। तुष्टीकरण से प्रेरित उनकी इस एकपक्षीय घोषणा को सुनकर बहुसंख्यक समाज की शिक्षा-संस्थाओं-गुरुकुलों, आश्रमों, मठों-मन्दिरों द्वारा संचालित पाठशालाओं को और परम्परागत शिक्षा-दीक्षा केन्द्रों को निराशा हुई जिन्होंने आशा भरे अद्‌भुत उत्साह से मोदी जी को वोट दिया था और जिनकी आर्थिक स्थिति मदरसों से भी कमजोर है और जो आज भी अन्न, धन, वस्त्र, भिक्षा माँग कर विद्यालय चलाते हैं तथा भारतीय संस्कृति-सभ्यता, परम्परा की रक्षा के साथ-साथ शिक्षा का प्रचार-प्रसार करके देश को आगे बढ़ाने में प्रयत्नशील हैं।

अतीत में, स्वतन्त्र कहे जाने वाले भारत के सत्तर वर्षों के कार्यकाल में बहुत-सी राजनीतिक पार्टियों ने देश-प्रदेश में बहुसंख्यक समुदाय से खुल्लम-खुल्ला भेदभाव करके घोर अन्याय किया है। उनसे जुटाये कर-संग्रह और उनके मन्दिरों से प्राप्त धन-संग्रह से तुष्टीकरण की आड़ में अल्पसंख्यकों का पालन-पोषण और सुख-सुविधा का प्रबन्ध किया है, अल्पसंख्यकों के धर्मस्थलों का निर्माण हुआ है। स्वभावगत सामाजिक निष्क्रियता के कारण बहुसंख्य समुदाय मन मसोस कर बैठा इस आस में बाट जोहता रहा है कि कोई 'अवतारी पार्टी' आयेगी जो तुम्हारे भेदभाव को मिटायेगी। भाजपा आ गई, जो इस आरोप से प्रायः स्वयं को बचाती रही है और विपक्षी पार्टियों को इस बिन्दु पर घेरती रही है। किन्तु उक्त घोषणा से संकेत मिल रहा है कि भाजपा की कार्यशैली भी उसी ट्रैक पर आ रही है। तो क्या यह मान लिया जाये कि लोकतन्त्र में वोटतन्त्र की विवशता सुरसा की तरह विस्तार पाती रहेगी!! लगता है अल्पसंख्यकवाद की यह समस्या अबूझकाल के लिये इस देश के गले पड़ गई है। अपितु, गले पड़ी नहीं, स्वतन्त्रता-प्राप्ति के समय कुछ राजनेताओं ने निहित स्वार्थ के कारण स्वयं अपने गले में डाली है, जो आने वाली पीढ़ियों के लिए दंश झेलने की नियति बन गई है। उस समय इस समस्या के उत्पन्न होने की न तो भारत में परिस्थिति थी और न कोई प्रश्न ही था। प्रश्न भी जान-बूझकर बनाया गया और परिस्थिति भी। पाठक विचार करें।

धार्मिक आधार पर दो धार्मिक समुदायों के मध्य इस देश का बँटवारा हुआ, जिसमें भयंकर रक्तपात भी हुआ। जब धर्म के आधार पर मुसलमानों को पाकिस्तान दे दिया तो भारत स्वतः हिन्दुओं के लिए रह गया। यह स्वाभाविक रूप से हिन्दू देश घोषित होना चाहिए था, किन्तु ऐसा नहीं हुआ। इसे धर्मनिरपेक्षता का चोला पहना दिया गया जिसका उससे कोई सम्बन्ध कभी नहीं रहा। फिर धार्मिक विभाजन का अर्थ ही क्या रहा? इतना ही नहीं, जनसंख्या के अनुपात से मुसलमानों को क्षेत्र भी मिल गया, धन भी मिल गया।

फिर भी महात्मा गाँधी ने मुसलमानों को भारत में रोक लिया। फिर विभाजन का अर्थ ही क्या रहा? और जब भारत देश-धर्म के आधार पर पुनर्गठित ही नहीं माना गया तो यहाँ धर्म के आधार पर अल्पसंख्यक समुदाय कैसे मान्य हो गये? जब उन्हें देश और धन दोनों अधिकार मिल चुके थे तो फिर से उनका समग्र प्रकार का तुष्टीकरण किस आधार पर होता रहा? **इस विभाजन में, और बाद में, पीड़ा के अतिरिक्त हिन्दुओं को क्या मिला?** इन सारे प्रश्नों के रहस्यों से पर्दा उठाया है तत्कालीन कांग्रेसी नेता, लेखक और चिन्तक राजर्षि श्यामजी पाराशर ने। अपनी **'पाकिस्तान का विषवृक्ष'** नामक पुस्तक में उन्होंने हिन्दुस्तान के हिन्दू-देश न बन पाने के मूल कारणों पर व्यापक प्रकाश डाला है। उनका निष्कर्ष यह है कि उक्त सारी घटनाओं की पृष्ठभूमि में महात्मा गाँधी और कांग्रेस की स्वार्थनीति थी। उन्हें तत्कालीन परिस्थितियों में यह अनुभव हुआ कि विभाजन की इस घटना के बाद सारा हिन्दू समुदाय या तो 'हिन्दू महासभा' के पक्ष में चला जायेगा अथवा 'संघ' के पक्ष में। इसी स्वार्थ-नीति के सन्दर्भ में उस समय संघ पर प्रतिबन्ध भी लगाया गया था। वे चाहते थे कि यहाँ कांग्रेस ही, और उसमें भी श्री नेहरू चिरशासक रहे। इसी कारण से मुसलमानों को यहाँ रोका गया, उनको तुष्टीकरण के द्वारा अपने पक्ष में बढ़ावा दिया गया, हिन्दू-मुस्लिम भेदभाव को गहरा किया गया और हिन्दू समुदाय की घोर उपेक्षा की गई। तभी से तुष्टीकरण की राजनीति भारतीय राजनेताओं के लिए वोट का एक प्रभावी माध्यम बन गई और हिन्दुओं की ही कुछ पार्टियों की यह मानसिकता भी बन गई। पाठकों को याद दिला दें कि श्री पाराशर वह काँग्रेसी नेता थे जिन्होंने आरम्भ में श्री गाँधी और श्री नेहरू की प्रशंसा में पुस्तकें लिखी थीं, किन्तु बाद में उनकी पक्षपातपूर्ण नीतियों के कारण वे उनसे विमुख हो गये थे।

भारत में एक विचित्र विसंगति रही है और अब भी है। तुष्टीकरण किया जाना तो चाहिए अधिक बड़े समूह का, किन्तु यहाँ हो रहा है छोटे समूहों का। इसका कारण स्पष्ट है। छोटे समुदायों में संगठन है, एकता है, लक्ष्य है, सक्रियता है, एक आवाज है, जबकि भारत के बड़े समूह में इनमें से एक भी विशेषता नहीं है, वह अनेक रूपों में बँटा हुआ है। राजनीतिक और शिक्षित व्यक्ति इस मनोविज्ञान को भली-भाँति समझता है, इसलिए प्रत्येक निर्णय में वह उस ओर झुक जाता है। यदि बहुसंख्यक समुदाय को व्यवस्था के इस रुझान को अपनी ओर मोड़ना है तो उसे अपने अन्दर उक्त विशेषताएँ उत्पन्न करनी होंगी, अन्यथा उसे चर्चित परिस्थितियों को झेलते रहना होगा और उनका अप्रिय परिणाम भुगतना होगा।

अन्य घटनाएँ उन प्रदेशों की हैं जहाँ डंके की चोट पर अल्पसंख्यकों के लिए पक्षपात किया जाता है और बहुसंख्यकों की उपेक्षा की जाती है, किन्तु बहुसंख्यक हिन्दू कुछ बोल नहीं पाते, क्योंकि वे संगठित नहीं हैं। चुनाव में विजय मिलते ही तेलंगाना सरकार ने मस्जिदों के लाभार्थ करोड़ों का बजट जारी कर दिया, मन्दिर भले ही उजड़े पड़े रहें। आन्ध्रप्रदेश की रेड्डी सरकार ने चर्चों, मस्जिदों और पादरियों-इमामों के वेतन आदि के लिए केवल २०१९-२० वित्तीय वर्ष हेतु ९४९ करोड़ रुपयों का बजट स्वीकृत किया है, हिन्दू पुजारी भिक्षा माँगते रहो। यही हाल बंगाल, केरल और पूर्वोत्तर राज्यों का है। हिन्दू चुप है। वह बोलेगा तो लोग बोलेंगे साम्प्रदायिकता सिर उठा रही है और उससे देश को भी खतरा है, उनको भी खतरा है। उन्हें खतरा भी है और गुर्राते भी हैं, कितनी विचित्र बात है! हिन्दू तो अपने साथ होने वाले अन्याय और भेदभाव का रोना-धोना भी सड़कों पर निकलकर नहीं करते, घर में बैठकर आपस में रो-धो कर सन्तुष्ट हो लेते हैं। इसलिए राजनेता, अधिकारी, न्यायकर्ता, पुलिस कोई इनकी आवश्यक तुष्टि की चिन्ता नहीं करता, अल्पों की तुष्टि की चिन्ता सबको रहती है। इन बातों को देख-सुनकर कभी-कभी तो यह आभास होता है कि यह देश, शायद आजाद ही उनके लिए हुआ है।

दिल और दिमाग की सोच को भी बदलना चाहिये- पिठोरिया (राँची, झारखण्ड) निवासी ऋचा भारती का केस समाचार-पत्रों में गत दिनों खूब छाया रहा है। एक मुसलमान युवक की भीड़ द्वारा हत्या किये जाने के विरोध में अन्य मुसलमान युवक ने 'टिक-टॉक' सोशलसाइट पर वीडियो प्रसारित करके आतंकी बन के उसका बदला

लेने की धमकी दी। ऋचा भारती (१९ वर्ष) ने उसके उत्तर में कश्मीरी पंडितों पर हुए अत्याचार का मुद्दा उठाया। एक अन्य मुस्लिम व्यक्ति ने इस लड़की की शिकायत पुलिस में की। पुलिस ने चमत्कारिक तत्परता दिखाते हुए तीन घंटे के अन्दर उस लड़की को जेल भेज दिया। राँची के जज महोदय ने एक विचित्र निर्णय के साथ उसको जमानत दी कि 'इस लड़की को पन्द्रह दिन में पाँच **कुरान** शिकायतकर्ता और शिक्षा-संस्थानों को वितरित करने होंगे।' लड़की ने इस फैसले को असंवैधानिक, अनैतिक और एकपक्षीय मानते हुए घोषणा की कि 'मैं कुरान नहीं बाँटूंगी और मैं उच्च न्यायालय जाऊँगी।' उक्त फैसले के विरोध में पिठोरिया में धरने-प्रदर्शन हुए, पर्याप्त विरोध हुआ। उनका सुखद परिणाम यह हुआ कि जज महोदय ने यह फैसला वापिस ले लिया। किन्तु यह घटनाक्रम कुछ चिन्तनीय प्रश्न छोड़ गया जिनको लड़की ने भी उठाया।

क्या यह निर्णय न्यायसम्मत है अथवा समुदाय-विशेष का तुष्टीकरण-सम्मत? क्या कानून के अनुसार न्यायालय को इस प्रकार का निर्णय देने का अधिकार है? भारत का संविधान धर्मनिरपेक्ष/पन्थ-निरपेक्ष है, क्या वह किसी को धर्म-सापेक्ष निर्णय देने का अधिकार देता है? लड़की का धर्म हिन्दू है, क्या किसी को यह अधिकार है कि वह उसे अन्य धर्म, आस्था अथवा उसकी पुस्तक को मान्य करने के लिए बाध्य करे? या उससे अन्य-धर्म की पुस्तक वितरित करने को बाध्य करे? क्या यह कार्य नैतिक कहलायेगा? कुछ मुस्लिमजन हिन्दू-धर्म के विरुद्ध बहुत-कुछ लिखते-कहते रहते हैं, क्या उनके लिए कोई न्यायालय यह निर्णय देने का साहस करेगा कि वह आरोपी हिन्दू-धर्म के ग्रन्थ वितरित करे? शायद कभी नहीं। यदि यही निर्णय किसी मुस्लिम समुदाय के व्यक्ति के लिए आ जाता तो वह कितना भारी पड़ता, न्याय-व्यवस्था इसकी कल्पना भी नहीं कर सकती। लेकिन इससे हमारे व्यवस्था-तन्त्र की सोच की दिशा का आभास मिलता है। यह सोच बदली जानी चाहिए, क्योंकि यह न्यायपूर्ण नहीं है।

जिस कुरान को बाँटने का निर्णय दिया गया था, उससे संबन्धित एक मुकदमा दिल्ली की अदालत में निर्णीत हो चुका है। प्रसंगवश, उसकी जानकारी देना पाठकों का ज्ञानवर्धन करेगा। श्री इन्द्रसेन, तत्कालीन उप-प्रधान हिन्दू महासभा, दिल्ली और श्री राजकुमार ने '**कुरान मजीद**' की चौबीस आयतें उद्धृत करके एक पोस्टर छापा, जिसमें यह दिखाया गया कि ये आयतें हिंसात्मक हैं और समाज में हिंसा-द्वेष को बढ़ावा देने वाली हैं। इसके कारण इन दोनों व्यक्तियों पर इंडियन पीनल कोड की धारा १५३ ए और २५६ ए के अन्तर्गत एक एफ.आई. आर. पुलिस स्टेशन हौजकाजी, दिल्ली में दर्ज हुई और मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट श्री ज़ेड. एस. लोहाट की अदालत में वह मुकदमा चला। ३१ जुलाई, १९८६ को फैसले में उन्होंने माना कि वे आयतें समाज के लिए हानिकारक, घृणाप्रेरक हैं और दो समुदायों में मतभेद की सम्भावना पैदा कर सकती हैं। इस निर्णय का स्पष्ट सन्देश है कि यह ग्रन्थ न्याय हेतु वितरण के योग्य नहीं माना जा सकता, क्योंकि यह सद्भावना स्थापित करने के प्रयोजन को पूरा नहीं करता। यह वस्तुस्थिति जानने के लिए संबन्धितों को पहले कुरान का गम्भीर अध्ययन करना चाहिए। तब उन्हें कुरान-वर्णित मूल भावनाओं, लक्ष्यों, योजनाओं, मुस्लिम-इतर से किये जाने वाले व्यवहारों के आदेशों की सही-सही जानकारी मिलेगी।

अन्त में, इस लेख के द्वारा हम चाहेंगे कि किसी भी माध्यम से हमारी ये भावनाएँ प्रधानमन्त्री मोदी जी तक पहुँचें कि एकवर्गीय तुष्टीकरण की परम्परा सम्पूर्ण देश-प्रदेश से समाप्त हो। बहुसंख्यक समाज, जिसमें सनातन समाज, आर्यसमाज तथा अन्य मत-मतान्तर भी हैं, जिन्होंने प्रत्येक संघर्ष में इस देश की संस्कृति, सभ्यता, साहित्य और परम्पराओं की रक्षा की है और भविष्य में भी करेंगे, उनके लिए भी ऐसी योजनाएँ लायें जिससे उनका ऐतिहासिक उत्थान हो और उनके प्रति व्यवस्था में विकसित उदासीनता की भावना नष्ट हो सके।

डॉ. सुरेन्द्र कुमार

जैसे पवन सब को सुख देता हुआ सब के रहने का स्थान हो रहा है वैसे ही विद्वान् को होना चाहिये।

-महर्षि दयानन्द, यजुर्वेद, भावार्थ ५.४१

मृत्यु सूक्त-३६

प्रवचनकर्त्ता- डॉ. धर्मवीर

लेखिका - सुयशा आर्य

परोपकारिणी सभा के पूर्वप्रधान डॉ. धर्मवीर जी के वेद-विज्ञान के अन्तर्गत प्रसारित व्याख्यानों की जनोपयोगिता को ध्यान में रखकर 'परोपकारी' में प्रकाशित किया जा रहा है। व्याख्यानों के लेखन का कार्य उनकी ज्येष्ठ पुत्री सुयशा आर्य कर रही हैं। -सम्पादक

आरोहतायुर्जरसं वृणाना अनुपूर्वं यतमाना यतिष्ठ।
इह त्वष्टा सुजनिमा सजोषा दीर्घमायुः करति जीवसे वः।।

इस वेदज्ञान की चर्चा में हम ऋग्वेद के १० वें मण्डल के १८ वें सूक्त के छठे मन्त्र की चर्चा कर रहे हैं और इसमें आए हुए शब्दों पर विचार कर रहे हैं। इस मन्त्र का ऋषि यामायनः, देवता त्वष्टा और छन्द त्रिष्टुप है। मन्त्र में बताया गया है कि हमें दीर्घायु वाला होना चाहिए। विशेष शब्द हैं, **सुजनिमा सजोषा और दीर्घमायुः करति जीवसे वः।** वह तुम्हारे जीने के लिए दीर्घ आयु बनाता है, आपको दीर्घ आयु प्रदान करता है। लेकिन उसके दो विशेषण यहाँ है- **सुजनिमा** और **सजोषा**। वह जो बनाता है, बिल्कुल सुन्दरता के साथ बनाता है और उसमें उसका प्रयत्न भी पूर्ण यथावत् होता है।

सजोषा, इसमें जुष् शब्द प्रीति के अर्थ में और उसे लेने के अर्थ में है। **'जुष् प्रीति सेवने'**। हम जिस प्रेम से, जिस पुरुषार्थ से, इसके निर्माण में लगते हैं, ईश्वर भी हमें उसी तरह से सहायता प्रदान करता है। इसलिए हमारे पास एक नियम है, जिसकी हमने पहले भी चर्चा की थी- हम यदि यह चाहें कि हम इस शरीर को अच्छा चलायें तो उसका एक नियम यही है कि अच्छा चलाने के बारे में हमें कुछ जानकारी होनी चाहिए, अच्छा चलाने की नियम-व्यवस्था का हमें पता होना चाहिए।

भगवान् ने हमको यह शरीर दिया है और इसमें असीम समार्थ्य पैदा किया हुआ है। हमारी बुद्धि अद्भुत है, हम उसका पूर्ण प्रयोग नहीं कर पाते लेकिन भगवान् ने हमें दी है। हमारे शरीर की रचना इतनी जटिल, इतनी सूक्ष्म, इतनी विशाल है कि हम इसका प्रयोग तो करते हैं लेकिन इसकी रचना के बारे में हम कुछ नहीं जानते। ज्ञान इसके अन्दर भरपूर है और हम जितना जानते हैं उतना इसका उपयोग कर सकते हैं, उतना इसको लाभ में ले सकते हैं। यह बिल्कुल ऐसी बात है जैसे कोई नया उपकरण आजकल आता है और पुराने लोगों को पता ही नहीं चलता कि इस उपकरण में क्या-क्या योग्यतायें हैं, क्या-क्या काम हैं, किन-किन कार्यों को यह कर सकता है। हम तो अपने पुराने ही ज्ञान के आधार पर उससे उतना ही काम ले लेते हैं। तो यहाँ शरीर को ठीक समझना है। जैसे किसी मशीन को बनाने वाले के पास हम इसीलिए जाते हैं कि हम उसके बारे में जान सकें, उसने किस विचार से, किस योग्यता से, किस काम के लिए इस वस्तु का निर्माण किया है, वह हमें बताता है और हमें सिखाता है। हमें भी उसका उपयोग लेना आ जाता है।

अब हम शरीर का उपयोग लेना चाहते तो हैं, लेकिन इसका उपयोग बताने वाला कौन होगा? एक तो बताने वाले वही होते हैं, जिसकी मैंने चर्चा की थी- **नित्यं हिताहार-विहार-सेवी, समीक्ष्यकारी विषयेष्वसक्तः दाता समः सत्यपरः दयावान् आप्तोपसेवी च भवत्यरोगः।** (चरक संहिता) इसमें बड़ी सीधी-सी बात कही है। आप नीरोग होना चाहते हैं, आप स्वस्थ होना चाहते हैं, आप दीर्घजीवी होना चाहते हैं तो आपको उन लोगों के पास जाना होगा जिनके पास इसकी जानकारी है, जो ऐसा करके लाभ प्राप्त कर चुके हैं। इसलिए वहाँ कहा- **आप्तोपसेवी च भवत्यरोगः। जो आप्तोपसेवी है, वह 'अरोगः भवति'।** जो समझदार लोगों के साथ उठता-बैठता है, जो समझदार लोगों की सेवा करता है, जो उनके

निकट रहता है, उनका उसे अवश्य लाभ मिलता है। वे जिन अनुभवों से दीर्घायु को प्राप्त करते हैं, वही अनुभव उन लोगों के पास रहने वालों को भी प्राप्त होते हैं। इसके लिए मनु महाराज के श्लोक का छोटा सा हिस्सा है- **अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धोपसेविनः।** वहाँ आप्त के लिए वृद्ध शब्द का प्रयोग किया है। कहा है कि वह व्यक्ति सफल होता है, वह व्यक्ति समझदार बनता है जो बड़ों का साथ लेता है, जो बड़ों की संगति करता है, जो बड़ों से कुछ जानना चाहता है, जानता है। तो यहाँ भी कहा, **आप्तोपसेवी अरोगः भवति** जो समझदार लोगों के साथ, विद्वानों के साथ, वृद्धजनों के साथ उठता-बैठता है, वह अरोगः भवति। वह अपने आप नीरोग हो जाता है और क्या होता है- **दाता समः सत्यपरः दयावान्**। इसमें दो बातें हैं। पहला हिस्सा शरीर को लेकर कहा गया। कैसे खाना है, सोना है, रहना है इसकी व्यवस्था करनी है। लेकिन जो दूसरी बातें हैं वे मानसिक आरोग्य की हैं।

हमारे शरीर के सीधे-सीधे दो विभाग हैं। एक अन्दर का विभाग है जिसे हम मानस कहते हैं और एक बाहर का विभाग है। यह कुछ इस तरह से समझ लीजिए कि एक मशीन है, एक मशीन को चलाने वाली ऊर्जा है। उस ऊर्जा से मशीन का हर भाग सक्रिय हो जाता है। तो यदि यह मन न हो तो इस शरीर में कोई क्रिया ही नहीं हो सकती। मन ही हमारे अन्दर की इच्छाओं को उत्पन्न करता है। हमारे पैर मन के कारण ही गति करते हैं। मन, बुद्धि यदि हमारे अन्दर न हों तो हमारी इन्द्रियाँ स्वयं कुछ नहीं कर सकतीं, ये स्थूल शरीर के अवयव हिल भी नहीं सकते। साथ ही हम यदि बाहर के शरीर को स्वस्थ नहीं रखें तो मन किससे क्रिया करायेगा? हाथ यदि टूटा हुआ है, हाथ यदि पक्षाघात से पीड़ित है तो मन इसे चाहकर भी नहीं उठा सकता। मन तो बहुत चाहता है कि इसे उठाऊँ, मन तो बहुत चाहता है कि बोलूँ, लेकिन नहीं बोला जाता, ना ही उठा जाता, ना ही चला जाता, क्योंकि हमारा शरीर स्वस्थ नहीं है और यदि शरीर स्वस्थ भी है, इन्द्रियाँ भी हमारे पास हैं, किन्तु मन में सामर्थ्य न हो, मानसिक दृष्टि से हम हताश, निराश, निर्बल हों, तब भी हमारे साधन रहते हुए भी हम उस काम को नहीं कर पायेंगे।

हमारे अन्दर मानसिक बल आयेगा कैसे, शारीरिक बल तो भोजन से आ जाता है, सोने से आ जाता है, हवा से आ जाता है, हम प्राणवायु से ले लेते हैं। यह तो हमारे शरीर-निर्माण के साधन हैं, शरीर की ऊर्जा को प्राप्त करने के उपाय हैं, लेकिन मानसिक ऊर्जा हमें कैसे मिलती है? मानसिक ऊर्जा इन कामों को करने से होती है- **दाता, समः, सत्यपरः, दयावान्।** ये चार बातें कही हैं। यह चार बातें हमारे मानसिक स्वास्थ्य को बढ़ाने वाली होती हैं।

मानसिक बीमारी अभाव का नाम है। भय अभाव के कारण पैदा होता है। जो मनुष्य दाता है, देने की इच्छा रखता है, देता है, देने का जिसका स्वभाव है, मानसिक दृष्टि से वह व्यक्ति कभी अस्वस्थ नहीं होता और शायद इसीलिए हमारे यहाँ लेने और देने का कुछ क्रम ऐसा पैदा किया हुआ है कि हमारे समाज में माँगनेवाले भी बहुत है और सबको देने का भी उपदेश है। हमारे यहाँ संन्यासी भिक्षा करता है, हमारे यहाँ ब्रह्मचारी भिक्षा करता है, हमारे यहाँ वानप्रस्थी भी भिक्षा करता है, हमारे यहाँ गृहस्थ में ब्राह्मण भी भिक्षा करता है। अब कितना सब समाज में भिक्षा पर निर्भर करता है, तो भिक्षा केवल चाहने से तो नहीं मिलती है, देने वाला होगा तभी तो मिलेगी। इसके लिए हमारे समाज में देने की प्रवृत्ति का विधान किया है। इसलिए कहा गया है, अतिथि को बिना खिलाए मत खाओ, बिना यज्ञ में डाले मत खाओ, बिना किसी को दिये मत खाओ। आपके घर में कोई नई चीज आती है तो पहले विद्वान् को, अतिथि को देकर उपयोग में लाओ। कोई चीज बनी है, तो पहले अतिथि को, ब्राह्मण को, विद्वान् को खिलाकर फिर खाओ। यह जो पहले-पहले करने वाली बात है, यह क्यों? इसलिए कि मनुष्य के अन्दर लेने की स्वाभाविक प्रवृत्ति है, लेना सबको अच्छा लगता है, लेकिन देने की प्रवृत्ति मनुष्य में पैदा करनी पड़ती है। सब यदि लेने की प्रवृत्ति रखेंगे तो सबको सबसे भय लगेगा, सब सबसे डरे हुए रहेंगे। कोई किसी को कुछ देगा ही नहीं। लेकिन जब हममें देने की प्रवृत्ति का उदय होता है तो इस तरह से दोनों का भय मिट जाता है। हमारा मानसिक स्वास्थ्य बढ़ जाता है। क्योंकि जब मनुष्य देता है तो उसका हृदय प्रफुल्लित होता है, उसका मन विकसित

होता है, उसका चेहरा मुदित होता है, खिलखिलाता है और जब मनुष्य बटोरता है, लेता है तो संकीर्ण होता है, संकुचित होता है, उसका मन छोटा होता है। इसलिए मन को बड़ा करने के लिए कहा कि दाता बनो।

समः कहते हैं समान रहने को। सुख, दुःख, हानि, लाभ, काम, क्रोध, ईर्ष्या, राग, द्वेष, यश, अपयश, इन परिस्थितियों में मनुष्य ऊँचा-नीचा होता रहता है, दुःखी-सुखी बनता रहता है, ऐसी अस्थिरता जब मनुष्य के अन्दर होती है, तो वह स्वस्थ नहीं रह सकता, वह प्रसन्न नहीं रह सकता। ये परिस्थितियाँ तो बनती हैं, बनती रहेंगी, इन परिस्थितियों को कोई बनने से नहीं रोक सकता। तो फिर क्या करना चाहिए? कहता है कि हमें सम होना चाहिए। हमारे अन्दर यह भाव रहना चाहिए कि इन विषम परिस्थितियों को हम किस तरह से स्वीकार करें, जिससे कि हम सम बने रहें। क्योंकि हमारा सम बने रहना ही हमारे स्वास्थ्य का लक्षण है। जब हम असम होते हैं तो यह बिल्कुल उस तरह से है कि जब तराजु ऊपर-नीचे हो रहा हो तो तराजू का ऊपर-नीचे होना उचित नहीं माना गया, स्वस्थ नहीं माना गया। उसका बिल्कुल स्थिर होना, समान होना, सहज होना, यह उसके सन्तुलित होने का लक्षण है।

सत्यपरः यह मनुष्य के जीवन में सबसे कठिन परिस्थिति होती है। कहा है कि मनुष्य यदि सत्य को ग्रहण करता है, सत्य को स्वीकार करने के लिए तैयार रहता है तो मनुष्य स्वस्थ रह सकता है। लेकिन ऐसा लगता है कि हम यदि सही करेंगे तो हमारा नुकसान होगा, हानि हो जायेगी, कोई हमें दंडित कर देगा, तो फिर हम सच से दूर हो जाते हैं, फिर हमारे जीवन में एक संघर्ष चलता रहता है। हम उस सच का आश्रय लेना चाहें तो क्या करें? उसके लिए उपाय तो एक ही है जिसके लिए मन्त्र का उत्तरार्ध कह रहा है, **सुजनिमा, सजोषा** मैं यदि उसके साथ हूँ तो वह सदा मेरे साथ है। मैं उसके साथ रहता हूँ तो वह मेरे साथ मेरा भला, मेरा हित करने में सदा तत्पर रहता है और ऐसा करते हुए मुझे कोई हानि नहीं होने देता। हम जब यह कहते हैं कि सत्य बोलना चाहिए, या सत्य मानना चाहिए, सत्य को स्वीकार करना चाहिए तो सत्य को वही व्यक्ति स्वीकार कर सकता है जो यह जानता है कि सत्य के व्यवहार से परमेश्वर की न्याय -व्यवस्था में हमें लाभ होगा। हम तो संसार की न्याय-व्यवस्था को देखते हैं और इस संसार की न्याय-व्यवस्था में झूठ से, जालसाजी से, बेईमानी से सफल होते हुए लोगों को देखते हैं तो हम ऐसा समझते हैं कि हमें भी ऐसा ही करना होगा तब हम सफल होंगे, यदि हम ऐसा नहीं करेंगे तो हम असफल होंगे। उस समय हमारे अन्दर जब भय होता है तो हम संसार की न्याय-व्यवस्था को आदर्श मानकर बात करते हैं, संसार की न्याय-व्यवस्था को देखकर बात करते हैं। इसलिए जब तक हम संसार की न्याय-व्यवस्था से आशा रखेंगे और संसार की न्याय-व्यवस्था को आदर्श मानेगें तब तक हम इसके भय से छूट नहीं सकते, हम सत्य के उपयोग का साहस नहीं कर सकते।

परोपकारिणी सभा द्वारा आयोजित आगामी कार्यक्रम

१. १५ से २२ सितम्बर, २०१९- **योग-साधना शिविर**

२. ०१, ०२, ०३ नवम्बर २०१९- **ऋषि मेला**

ऋषि उद्यान में होने वाले कार्यक्रमों के लिए

सम्पर्क सूत्र- ०९४६०४२११८३, ०१४५-२४६०१६४, ०१४५-२६२१२७०

पढ़ाने में लाड़न नहीं करना योग्य है!

उन्हीं के सन्तान विद्वान्, सभ्य और सुशिक्षित होते हैं, जो पढ़ाने में सन्तानों का लाड़न कभी नहीं करते, किन्तु ताड़ना ही करते हैं, परन्तु माता-पिता तथा अध्यापक लोग ईर्ष्या, द्वेष से ताड़न न करें, किन्तु ऊपर से भय प्रदान और भीतर से कृपा दृष्टि रखें। (स. प्र. स. २)

शङ्का समाधान - ५४

डॉ. वेदपाल

शङ्का- (क)- विवाह के कुछ काल पश्चात् दोनों में से किसी एक का देहान्त होने पर (जीवित साथी द्वारा दूसरा विवाह करने पर) क्या पुनः सात फेरे दुहराये जाएँगे?

(ख)- ओ३म् तथा पौराणिक ॐ में से कौनसा सही है?

सोनालाल नेमधारी, मॉरीशस

समाधान- (क) क्या आपका अभिप्राय विधुर/विधवा के पुनर्विवाह से है? यदि हाँ, तब वह स्त्री-पुरुष में से किसी एक के विधवा -विधुर अथवा दोनों के ही विधवा-विधुर होने पर होने वाला विवाह/पुनर्विवाह ही है। यदि वह विवाह कर रहे हैं, तब विवाह की सम्पूर्ण विधि ही की जाएगी।

विवाह-सम्बन्ध क्योंकि दो व्यक्तियों (स्त्री-पुरुष) के मध्य स्थापित होने वाला संबन्ध है। सामान्यतः प्रथम बार यह संबन्ध दो अविवाहितों के मध्य होता है, किन्तु यदा-कदा किसी एक के विधुर/विधवा तथा दूसरे अविवाहित के मध्य भी होता है। अपवाद स्वरूप ही दोनों विधुर-विधवा होते हैं। किसी भी स्थिति में अग्नि साक्षिक होने पर वह विवाह अथवा पुनर्विवाह है। पुनर्विवाह भी विवाह ही है। दूसरी बार (किसी एक अथवा दोनों के ही) होने के कारण पुनर्विवाह कहलाता है।

विवाह के समय की जाने वाली विधियाँ- पाणिग्रहण, शिलारोहण, लाजाहोम तथा सप्तपदी आदि विधियाँ की जानी शास्त्रीय दृष्टि से अपेक्षित ही हैं। कई बार यह पुनर्विवाह अग्निसाक्षिक न होकर सामाजिक व्यक्तियों की उपस्थिति में एक प्रकार की संविदा सदृश होता है। इसमें पाणिग्रहण आदि विधि नहीं होती हैं। इस प्रकार की परम्परा उत्तर-पश्चिम भारत में रही है, किन्तु उसे विवाह न कहकर चादर ओढ़ाना अथवा रुपया रख देना कहते हैं।

विवाह-विधि का वर्णन करने वाले गृह्यसूत्र इस विषय में मौन हैं। वहाँ पुनर्विवाह की न तो विधि है और न ही निषेध। स्यात् उस काल में नियोग की परम्परा प्रचलित होने के कारण इस प्रकार के पुनर्विवाह की परम्परा का प्रचलन नहीं रहा होगा।

आपने सात फेरे की बात कही है। वैदिक एवं पौराणिक परम्परा में सात फेरे का विधान नहीं है। यदि फेरे का अभिप्राय प्रदक्षिणा (अग्नि के चारों ओर घूमना) से है, तब शिलारोहण, लाजाहोम पूर्वक तीन प्रदक्षिणाएँ होती हैं। गृह्यसूत्रों के **'त्रिः परिणयति'** आदि वचन इसके प्रमाण हैं। कुछ गृह्यसूत्र इससे पूर्व पाणिग्रहण के समय एक प्रदक्षिणा मानते हैं। तद्यथा- **'प्रदक्षिणं पर्याणीयैके'** -पारस्कर गृह्यसूत्र। पारस्कर के इस प्रदक्षिणा के लिए 'एके' शब्द के प्रयोग से यह पारस्कर को भी अभिमत नहीं है। महर्षि दयानन्द सरस्वती ने इसे स्वीकार किया है।

विवाह की एक अन्य महत्त्वपूर्ण विधि है-सप्तपदी। स्यात् प्रदक्षिणा (फेरे) तथा सप्तपदी के सप्त= सात को मिलाकर सात फेरे कहने की परम्परा चल पड़ी हो। पुराण में भी शिव-पार्वती के विवाह-सन्दर्भ में, जिसमें पौरोहित्य स्वयं ब्रह्मा ने किया था में- **'हुताशस्त्रिः प्रदक्षिणम्'** कहते हुए तीन ही प्रदक्षिणा वर्णित हैं।

(ख) ओ३म्- व्याकरण की दृष्टि से यह उचित/शुद्ध रूप है। यह अ उ म्- इन तीन अक्षरों का समुदित रूप है। मनुस्मृति २.७८ में इसे अक्षर (एक अक्षर) कहा है।

ओ३म् के विषय में विस्तारपूर्वक 'परोपकारी' जून-प्रथम २०१९ के अंक में शङ्का-समाधान-४९ द्रष्टव्य है।

कुछ तड़प-कुछ झड़प

प्रा. राजेन्द्र 'जिज्ञासु'

क्या खोया? क्या पाया?- आर्यसमाज न्यू मुलतान नगर दिल्ली के प्रधान श्री राजकुमार जी स्वयं अबोहर आकर बहुत स्नेह से अपने एक कार्यक्रम में आने का निमन्त्रण देकर गये। अब भागदौड़ से बचना ही बुद्धिमत्ता है। प्रधान जी श्री दिनेश शास्त्री को साथ दबाव बनाने के लिये लेते आये। वह इस सेवक के बड़े कृपालु हैं। उन्होंने पं. लोकनाथ जी की स्मृति में कार्यक्रम रखा था सो पूज्य पण्डित जी पर विशेष चर्चा के लिये अपने हृदयस्पर्शी संस्मरण सुनाने, पण्डित जी के परिवार से मिलने के लिये पहुँच गया।

वहाँ जो भी आया लेखन कार्य के लिये नये-नये सुझाव देकर गया। वहाँ बैठे-बैठे 'क्या खोया? क्या पाया?' शीर्षक से एक नई रोचक, प्रेरक, उत्साहवर्द्धक पुस्तक की सारी रूपरेखा मस्तिष्क में बना ली गई। चार अगस्त को लौट रहा था तो गाड़ी में एक विचित्र घटना घटी। इस घटना ने इसी शीर्षक से अगली बार के 'तड़प झड़प' के लिये कुछ लिखने की अद्‌भुत प्रेरणा दी। गाड़ी में हम चार यात्री आमने-सामने बैठे थे। दूसरे तीन कम आयु के सुयोग्य यात्री परस्पर बातें करते रहे। डिब्बे में सबसे वयोवृद्ध मैं ही था। चुप बैठा रहा।

उन्होंने सोचा यह वृद्ध ग्रामीण दुकानदार रहा होगा। आधी यात्रा पूरी हो गई तो उन्होंने कश्मीर की चर्चा छेड़ दी। उनमें से एक आई.ए.एस. की तैयारी कर रहा योग्य युवक था। बड़े जोश से उनकी चर्चा में मैं भी कूद पड़ा। मेरे जोश तथा बात-बात पर इतिहास के प्रमाणों की झड़ी देखकर वे सब दंग रह गये। यह वृद्ध तो अंग्रेजी भी जानता है। यह जानकर पूछ लिया आप क्या करते हो? उत्तर दिया, ''कलमकार हूँ। बस लिखता ही रहता हूँ।''

फिर पूछा, क्या करते रहे? बताया, प्राध्यापक रहा। पूछा, नाम क्या है? नाम बताया तो झट से एक फड़क उठा, ''अरे ये तो राजेन्द्र 'जिज्ञासु' जी हैं। '''आपका मो. नं. ९४१७६४७१३३ है क्या?''

उनसे पूछा क्या यह मो. नं. आपको परोपकारी से मिला?

उनमें से मो. नं. बतानेवाला जोश से बोल पड़ा, ''आप परोपकारिणी सभा वाले 'जिज्ञासु' जी हैं?''

उसने प्रीतिपूर्वक बताया कि आपका जीवन-परिचय आपकी कई पुस्तकों के नाम तथा परोपकारिणी सभा से आपके सम्बन्धों की सब जानकारी मेरे मोबाइल में है।

मैंने आर्यसमाज के गौरव के लिये, अपने पर आर्यसमाज की कृपा, आर्यसमाज की देन के लिये यह प्रसंग यहाँ दिया है। आर्यसमाज के प्रति अपनी कृतज्ञता के प्रकाश के लिये यह सब कुछ लिखा है। मैंने जीवन में क्या-क्या खोया है? उसके बताने से क्या लाभ? आर्यसमाज की कृपा से मैंने क्या-क्या पाया है? यह उसी का एक उदाहरण है।

मुझे सन्तोष हुआ कि मुझ ग्रामीण व्यक्ति जो अपनी वेश-भूषा से पूरा Made in India है, के कारण आर्य साहित्य की कई पुस्तकों का न जाने इस जैसे कितने प्रबुद्ध लोगों को ज्ञान हो गया है। यह सब आर्यसमाज की देन है।

तब धर्मवीर जी का स्मरण हो आया- कई भद्रपुरुष आर्यसमाज में मुझ जैसों को घूर-घूर कर देखते हैं। स्वामी श्री प्रणवानन्द जी ने एक सभा में कहा था, परोपकारिणी सभा का ज्ञान धर्मवीर जी ने देश-विदेश के आर्यजन को करवा दिया। इस सभा को कौन जानता था? इस कथन की सत्यता को कौन झुठला सकता है? धौलपुर के सत्याग्रह के समय एक रजवाड़े से टक्कर लेकर स्वामी श्रद्धानन्द ने राजस्थान को आर्यसमाज के अस्तित्व का बोध करवा दिया। जयपुर, जोधपुर तथा उदयपुर के राजाओं ने तो तब चुप्पी ही न तोड़ी।

महान् श्रद्धानन्द, स्वतन्त्रानन्द स्वामी के इस वृद्ध सैनिक को आज इस बात पर सन्तोष व गौरव है कि विश्वप्रसिद्ध कई ग्रन्थों में मेरे जीवन-परिचय व साहित्य-सेवा की चर्चा में परोपकारिणी सभा का उल्लेख हो रहा है। पं. गंगाप्रसाद उपाध्याय आज होते तो अपने इस दुबले-

पतले मानसपुत्र पर अपने आशीर्वादों की वर्षा करते। आर्यजगत् में मैं अपने सब चाहने वालों तथा न चाहने वालों को भी झुक-झुक कर नमन करता हूँ।

आत्माराम जी का जीवन चरित्र- कर्मवीर पं. आत्माराम जी का जीवन-चरित्र कुछ मास पूर्व प्रकाशनार्थ परोपकारिणी सभा को सौंप दिया था। इसके मुद्रण व प्रकाशन में किन्हीं कारणों से बहुत विलम्ब होता गया। मान्य डॉ. वेदपाल जी ने स्वयं इसका पहला प्रूफ पढ़ा है। प्रूफ पढ़ने में उन जैसा दूसरा विद्वान् खोजना बहुत कठिन है। अब दूसरा प्रूफ मैंने ध्यानपूर्वक पढ़ा है। दूसरा प्रूफ पढ़ते हुये जो-जो नई बातें सूझीं व पढ़ने से मिलीं यथास्थान जोड़ दी गईं। यह जीवनी आर्यसामाजिक साहित्य में अपना उदाहरण आप ही होगी। इसकी विशेषताओं व विलक्षणता की संक्षेप से यहाँ जानकारी दी जाती है।

१. उन्नीसवीं शताब्दी के अन्तिम चरण व बीसवीं शताब्दी के पहले २५ वर्षों में देशभर में अस्पृश्यता व जन्म के जातीय अभिमान से टक्कर लेने वाला केवल आर्यसमाज था। महात्मा मुंशीराम जी तथा पं. आत्माराम जी सरीखा दिलजला तब और कोई जननायक नहीं था। इस तथ्य की पुष्टि में अलभ्य दस्तावेजों के अनेक उद्धरण पुस्तक में मिलेंगे।

२. देश में दलितोद्धार, अस्पृश्यता मिटाने के लिये अग्रणी आर्यवीरों को बहुत यातनायें दी गईं। आर्यों को देशभर में बलिदान देने पड़े। किसी हिन्दू संगठन ने, किसी भी और धर्माचार्य को इस हेतु सिर कटाने का गौरव प्राप्त न हो सका।

आर्यों को देश भर में प्रचण्ड बहिष्कार का सामना करना पड़ा। आत्माराम जी को जैसे बहिष्कार का पुरस्कार उनकी बरादरी ने दिया वह भी एक नया कीर्तिमान था।

३. श्रीराम को १४ वर्ष के लिये वनवास दिया गया। हमारे राम को (पं. आत्माराम जी) भी माहेश्वरी बरादरी ने ठीक १२ वर्ष के बहिष्कार का दण्ड दिया। ऐसा कड़ा दण्ड कि बच्चों के जन्म के समय बरादरी की कोई भी स्त्री माता यशोदा के पास नहीं फटकती थी।

४. सुप्रसिद्ध आर्य इतिहासकार व समाजसुधारक पं. विष्णुदत्त जी वकील ने लिखा है कि सारे देश में सबसे सबल व प्रतापी धार्मिक संगठन आर्य प्रतिनिधि सभा पंजाब का था। सरकार भी इस सभा का लोहा मानती थी।

तब इस सभा का कार्यालय मास्टर आत्माराम जी के घर पर एक चार आने (१/४ रुपया) की कॉपी में होता था। इस तथ्य को आज कौन जानता है?

५. आत्माराम जी मूलत: राजस्थानी थे। वह स्वयं को 'आत्माराम अमृतसरी' लिखते व कहते थे। सारा देश उन्हें 'आत्माराम अमृतसरी' के रूप में जानता था। देशभर में प्रखर राष्ट्रवाद का इससे बड़ा कोई दूसरा उदाहरण नहीं मिलेगा।

६. पं. श्यामजीकृष्ण वर्मा व पं. गुरुदत्त विद्यार्थी आधुनिक इतिहास की दो ऐसी विभूतियाँ थीं जो ब्राह्मणेतर परिवारों में जन्म लेकर 'पण्डित' के रूप में जान-पहचान बना सकीं।

श्रद्धेय मास्टर आत्माराम ऐसे तीसरे महान् आर्य विद्वान् थे जो उनके पश्चात् पण्डित के रूप में विख्यात हुये।

७. घर-बार, सगे-सम्बन्धियों से अति दूर गुजरात की बड़ौदा स्टेट में डेरा लगा लिया। महाराजा सयाजीराव ऋषि के रंग में रंग चुके थे। सयाजीराव पर लिखने व बोलने वाले एक भी व्यक्ति ने कहीं ऐसा नहीं लिखा। इस जीवन-चरित्र में पहली बार कई documents (दस्तावेजों) के छायाचित्र देकर हमने गायकवाड़ महाराज के आर्यत्व की ठोस जानकारी दी है।

देश में ऋषि-आदेश को मानकर एक नहीं आधा दर्जन राजनियम (Laws) बनाकर श्री सयाजीराव ने जड़पूजा, अन्धविश्वासों, जातिवाद व अस्पृश्यता से युद्ध छेड़ दिया। यह सब कार्य आत्माराम जी के बड़ौदा जाने से पूर्वकर दिये गये।

८. तब महाराजा की पीठ थपथपाने वाला देशभर में एक ही संगठन व एक ही नेता था। यह संगठन था आर्यसमाज तथा यह नेता था तपोधन महात्मा मुंशीराम। इन सब बातों के Documentary proofs (दस्तावेजी प्रमाण) सारा संसार पहली बार परोपकारिणी सभा द्वारा प्रकाशित इसी पुस्तक में देख सकेगा।

९. देश का पहला प्रशासक, पहला महाराजा और पहला सुधारक सयाजीराव गायकवाड़ था जिसने यह घोष

लगाया कि मेरे राज्य में एक भी तो अछूत नहीं होगा। यह कहकर उसने छूतछात के विरुद्ध जंग छेड़कर अपने लिये एक सहायक सेनापति की खोज आरम्भ कर दी।

१०. महाराजा ने स्वयं महात्मा आत्माराम को खोज निकाला। यह तथ्य सप्रमाण हमने इस पुस्तक में दिया है। लाहौर में आर्यसमाज की एक सभा में उन्हें सुना, फिर पूजनीय स्वामी नित्यानन्द जी को S.O.S. (Save our Soul) सन्देश भेजकर-विनती करके आत्माराम जी को बड़ौदा के लिये प्राप्त किया।

यह इतिहास सप्रमाण पहली बार इसी पुस्तक में इतिहासकार पढ़ सकेंगे। हमने इतिहास की परतों के नीचे से यह स्वर्णिम इतिहास खोज निकाला है। अलभ्य स्रोतों के सहस्रों पृष्ठों की एक-एक पंक्ति पढ़कर समुद्र-मन्थन करके ये रत्न खोजे हैं। अब कोई स्वयंभू विद्वान्, शङ्कालु, कृपालु यह नहीं कह सकेगा कि ''यह कहाँ लिखा है?'' विश्व-इतिहास में यह सयाजीराव गायकवाड़ पर अपने ढंग की बेजोड़ जानकारी है। स्वामी स्वतन्त्रानन्द जी के आशीर्वाद से ही यह सम्भव हुआ है।

प्रधानमन्त्री जी का साहसिक निर्णय- धारा ३७० हटाने के साहसिक निर्णय के लिये सरकार विशेषरूप से प्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री जी बधाई के पात्र हैं। यह धारा देश के लिये एक कलङ्क थी। इससे प्रेरणा पाकर, इसकी आड़ में देशभर में अलगाववादी सर्वत्र ऐसी ही नई-नई माँग कर सकते थे। इस निर्णय का प्रत्येक देशभक्त को स्वागत करना चाहिये। काँग्रेस तथा कम्युनिस्ट पार्टी का रोना-धोना तथा विरोध स्वाभाविक ही है। हम इस धारा को हटाने के लिये किये गये आन्दोलन को आरम्भ से ही जानते हैं।

सरदार पटेल, डॉ. अम्बेडकर तथा डॉ. मुखर्जी आदि नेताओं को संसद में बधाई दी गई। यह एक कृतज्ञ राष्ट्र का कर्त्तव्य था। संघ से जुड़े नेताओं ने गुरु गोलवलकर जी को भी इस सम्बन्ध में स्मरण किया। अपने नेता को वे स्मरण करते हैं, यह अच्छी बात है, परन्तु इतिहास का यथार्थस्वरूप भी सुरक्षित रहना चाहिये। वैद्य गुरुदत्त जी ने डॉ. मुखर्जी के सत्याग्रह की सभा का संचालन किया। वह उनके साथ थे। उनका, निर्मलचन्द्र चटर्जी, प्रो. रामसिंह जी का नाम न लेना तो अशोभनीय व तंगदिली है। वे सहस्रों वीर जो डॉ. मुखर्जी के पीछे-पीछे जेल गये उनको किसी ने नमन न किया। प्रो. बलराज मधोक इस आन्दोलन का मस्तिष्क थे। श्री महाशय कृष्ण जी के लेखों तथा उनके 'प्रताप' ने आन्दोलन में जान फूँकी। काँग्रेस भी तो नेहरू-वंश को ही देश के इतिहास का केन्द्र बिन्दु मानती है। मेरे ज्येष्ठ भ्राता श्री यशपाल एक ऐसे सत्याग्रही थे जिन्हें फाँसी की कोठरी में तब बन्द किया गया। एक विद्यार्थी पर तब इतनी बर्बरता...यह सारी कहानी दैनिक प्रताप की फाइलों में छपी मिलती है। वे नेता जो उस समय आन्दोलन में सक्रिय थे, भले ही फिर संघ को छोड़ गये, उनको इतिहास से बहिष्कृत करना शोभनीय कर्म नहीं। डॉ. मुखर्जी के पश्चात् श्री शान्ताकुमार जी तथा कादियाँ से श्री यशपाल खरायतीराम के जत्थे सबसे पहले जेल गये। इन युवा वीरों की तपस्या रंग लाई। श्री लालकृष्ण आडवाणी की इस आन्दोलन के लिये सेवायें वन्दनीय हैं।

निज़ाम हैदराबाद ने भारत के विरुद्ध युद्ध छेड़ा और महाराजा हरिसिंह ने कश्मीर को भारत से जोड़ा। नेहरू ने एक को राजप्रमुख बनाया और दूसरे को मुम्बई में निष्कासित किया। यह थी नेहरू की धर्मनिरपेक्षता।

एक और निवेदन इतिहासप्रेमी सुन लें। जनसंघ के संस्थापक प्रधान लाला बलराज भल्ला थे। पहले जनसंघ की स्थापना पंजाब में हुई। संघ के भाई इस इतिहास को क्यों छुपाते हैं। लाला बलराज भल्ला क्रान्तिकारी देशभक्त थे। अमर हुतात्मा डॉ. मुखर्जी अखिल भारतीय जनसंघ के पहले प्रधान बनाये गये। मैं एक प्रत्यक्षदर्शी उस समय जनसंघ से जुड़ा एक इतिहासप्रेमी युवक था। इस कथन को कोई झुठला नहीं सकता। दैनिक पत्रों की फाइलें इस सत्य का ज्वलन्त प्रमाण हैं। पुनः श्री शाह तथा प्रधानमन्त्री मोदी जी को नमन, शत-शत वन्दन-अभिनन्दन।

लाला मुरलीधर कौन थे?- परोपकारी के कई अंकों में हमने धर्मवीर ऋषिभक्त लाला मुरलीधर की पर्याप्त चर्चा की है। श्रद्धेय कर्मवीर आत्माराम जी को आर्यसमाज में खींचने वाले और पं. लेखराम जी के निकट लाने वाले यही लाला मुरलीधर थे। इस सेवक की २५-३० पुस्तकों में महर्षि के इस दीवाने उत्साही शिष्य का उल्लेख है।

एक उत्साही आर्य ने चलभाष पर पूछा है कि आपने कई बार लिखा है कि लाला मुरलीधर आर्य प्रादेशिक सभा के एक निर्माता व पहले मन्त्री थे, परन्तु उनके आर्यजगत् में तो इनका फोटो क्या कभी नाम तक भी नहीं छपता। आपके लेख का सन्दर्भ देकर भी कभी दो पंक्तियाँ वे आर्यजगत् में क्यों नहीं लिखते?

इस प्रश्न का उत्तर हम क्या दें? मान्य श्री पूनम सूरी जी ने मांस व सुरा तो डी.ए.वी. से निकाल कर यश कमाया है। उनकी व्यस्ततायें ही इतनी हैं, वह तो कुछ लिख नहीं सकते और उनमें ऋषि मिशन से लगाव रखने वाला श्रद्धावान् आर्य कौन है? सबका प्रेम अपनी-अपनी नौकरी से है। स्वामी सत्यप्रकाश जी ने डी.ए.वी. कॉलेज की एक स्मारिका में लिखा था कि डी.ए.वी. संस्थायें देश व समाज को एक भी वैज्ञानिक व इतिहासकार न दे सकीं। इस प्रश्न का उत्तर यही सच्चाई है; जिस लाला मुरलीधर के उल्लेख के बिना ऋषि जीवन अधूरा है उसे भूल जाना अक्षम्य पाप है। महात्मा मुंशीराम, पं. लेखराम जी ने, मास्टर आत्माराम जी ने जिस मुरलीधर धर्मरक्षक पर खुलकर लिखा है उसे डी.ए.वी. वाले ही नहीं सारा आर्यसमाज भूल गया है। आज किसी के पास उनका लिखा एक पृष्ठ भी नहीं।

जब तक श्वासों में श्वास है हम तो परोपकारी में उस महान् विभूति पर लिखते ही रहेंगे। मास्टर आत्माराम जैसा रत्न जिसने दिया क्या वह लाला मुरलीधर कोई साधारण व्यक्ति था?

जीवन की साँझ में एक निवेदन- हम कभी भी अपना मोबाइल बन्द नहीं करते। देश-विदेश के आर्यो के चलभाष पर जो कुछ वे प्रश्न पूछते हैं, जानकारी देते रहते हैं। कई बन्धु लम्बी चर्चा छेड़ते व पूरक प्रश्न पूछने लगते हैं। चलभाष पर पीएच.डी. नहीं करवाई जा सकती। न ही किसी ग्रन्थ की समीक्षा की जा सकती है। इन पंक्तियों का लेखक दिन भर लिखने-पढ़ने में व्यस्त रहता है। कोई न कोई नई परियोजना हाथ में होती है। मोबाइल की लम्बी चर्चा, प्रश्नोत्तरी से हमारा लेखन कार्य ठप्प न किया जावे।

हमें नये-नये सुझाव यह लिखो, वह लिख दो कोई न दिया करे। हमें सुझाव देने का अधिकार हमारे उन युवा आर्यवीरों के पास है जो सोते-जागते, उठते-बैठते समाज-सेवा करते हैं।

बुढ़ापा अब जवानी पर है तथापि दिनभर ऋषि के मिशन के लिये कार्यरत रहना, यह स्वभाव बन चुका है। मुहल्ले में कुछ लोगों की चर्चा का विषय स्वास्थ्य था। एक ने कहा, ''देखो! जिज्ञासु जी मुहल्ले में आयु में सबसे बड़े हैं। दिनभर कार्य करते हैं। आर्यसमाजी हैं। शाकाहारी हैं। यही इनके स्वास्थ्य का रहस्य है। दोनों समय भ्रमण भी करते हैं।'' यह चर्चा हमने भी सुन ली। यह सब आर्यसमाज की शिक्षाओं व कृपा का फल है। आर्यसमाज के लिये नये-नये ग्रन्थ रचने की सब रूपरेखा हमारे मस्तिष्क में है। ईश्वरेच्छा से देखेंगे क्या-क्या व कितना किया जा सकता है।

शोक-समाचार

परोपकारिणी सभा एवं आर्यसामाजिक संस्थाओं की कर्मठ, सेवाभावी व सक्रिय सहयोगी श्रीमती कौशल्या माताजी (बीकानेर) का आकस्मिक निधन १५ अगस्त २०१९ को हृदयाघात के कारण हो गया। माताजी की आयु लगभग ७४ वर्ष थी। श्रीमती कौशल्या जी वानप्रस्थी, स्वाध्यायशील, राष्ट्रवादी व धार्मिक प्रवृत्ति की महिला थीं। उन्होंने ऋषि उद्यान में कई वर्षों तक दर्शन आदि का स्वाध्याय भी किया। । माताजी का जीवन बहुत ही सादगीपूर्ण था। इनका अनुभव सभा को मनोबल प्रदान करता रहता था।

श्रीमती कौशल्या माताजी के निधन से सभा व आर्यसमाज को अपूरणीय क्षति हुई है। परमपिता परमात्मा से प्रार्थना हैं कि दिवंगत आत्मा को सद्गति प्रदान करें एवं उनके बिछोह से शोकसंतप्त परिवार को गहन आघात सहन करने की शक्ति दें।

परोपकारिणी सभा की ओर से हार्दिक श्रद्धाञ्जलि।

बचेगा कौन यदि राष्ट्र ही मर जाये???

पी.के.चटर्जी

भारतीय संविधान के प्रति पूर्ण आदरभाव रखते हुए भी कहना पड़ता है कि भारत का (हमारा) संविधान चिथड़े-चिथड़े कर देने योग्य है। वास्तव में इसे केवल गवर्नमेन्ट ऑफ इण्डिया ऐक्ट, १९३५ को ही अपनाकर यथास्थिति कायम रखने हेतु बनाया गया या यों कहें कि अपने स्वरूप में यह भारत में ब्रिटिश शासन-व्यवस्था वाले पूर्ववर्ती कानून को ही व्यवहार रूप में अपनाये जाने के तरीके से निर्मित हुआ है। हमारी राष्ट्रीय एकता को गति देने या उस ओर प्रेरित करने में हमारा संविधान असफल रहा है, विपरीत इसके, इसने हमारे लोगों को तोड़ने (विघटित करने) का कार्य किया है। भ्रष्टाचार को जड़ से उखाड़ फेंकने के बदले इसने इसे प्रोत्साहन प्रदान किया है। देश की प्रशासकीय व राजनीतिक व्यवस्था का अपराधीकरण करने में इसने मदद की है। सच्ची संसदीय लोकतन्त्रात्मक व्यवस्था लाने में यह हतभाग्य रहा है। इससे निर्वाचन की पद्धति का अपराधीकरण हुआ है। अपने अस्तित्व में आने के बासठ वर्षों में ९४ बार के संशोधन (जो एक विश्व रिकॉर्ड है) भी इसके पाप धोने या इसे अपेक्षित पवित्रता प्रदान करने में असफल रहे हैं।

संविधान निर्मात्री समिति के सभापति (बाबा साहब) भीमराव अम्बेडकर ने संविधान सभा में तब कहा था-''मैं दायित्वपूर्वक कहूँगा कि यदि सुधार नहीं आ पाया तो इसका कारण हमारा बुरा संविधान न होकर हमें यह कहना होगा कि इसे बनाने वाला मनुष्य ही बुरा (या अधम) था।'' विश्वभर के देशों के संविधानों के साथ तुलना करने पर (यही कहा जा सकता है कि) हमारा संविधान निकृष्टतम संविधानों में से एक है।

हाँ, आदमी अधम था, श्रद्धाविहीन, भ्रष्ट, गँवार, जातियों में बँटा हुआ व राष्ट्रीयता के भावों से रहित था, किन्तु अम्बेडकर जानते थे कि हमारे इस संविधान की निर्मिति के वर्षों पूर्व से ये पापवृत्तियाँ लोगों के मस्तिष्क में घर कर चुकी थीं और ये भ्रष्ट, असामाजिक व विघटनकारी तत्त्व ब्रिटिश उपनिवेशवादियों द्वारा शताब्दियों से पोषित थे क्योंकि इस प्रकार की प्रवृत्तियाँ यहाँ के संसाधनों का दोहन कर यूरोप को लाभ पहुँचाने में उनकी मददगार हो रही थीं। उन्होंने स्वयं भारतीयों की ही सहायता से इस देश पर शासन किया। भारतीय नौकरशाही, भारतीय पुलिस व भारतीय फौज की अंग्रेजों के प्रति शत प्रतिशत वफादारी-ये वे स्तम्भ थे जिनके बल पर अंग्रेजों ने शताब्दियों तक इस देश पर शासन किया। गवर्नमेन्ट ऑफ इण्डिया ऐक्ट, १९३५ उनके उद्देश्य पूर्ति का एक सहायक साधन था। उनकी अभिप्रेत प्रान्तीय स्वायत्तता भारतीयों के लिये सुराज्य स्थापित करने के उनके अभिव्यक्त इरादों के बावजूद कोई प्रभावी बदलाव न ला सकी। यह कानून ही वह माध्यम था जिसके चलते वे पूर्व से विद्यमान अप्राजतान्त्रिक साधनों को जारी रखने में सक्षम हो रहे थे। आदमी की दुष्प्रवृत्तियाँ जिन्हें अम्बेडकर ने इंगित किया था, इसने (यानि संविधान ने) केवल उन्हें बढ़ाने का ही काम किया।

गवर्नमेन्ट ऑफ इण्डिया एक्ट, १९३५ का दूसरा गम्भीर परिणाम था हमारी राष्ट्रीय दिशा धारा व आदर्शों का स्पष्ट दृष्टि-गोचर क्षरण या नाश। १९३१ के नागरिक अवज्ञा आन्दोलन के दौरान कांग्रेस पार्टी का स्वीकृत मत अहिंसा अब (१९३५ के कानून के बाद) विलुप्त हो गया।

१९४२ के 'भारत छोड़ो आन्दोलन' के समय ऐसा स्पष्ट परिलक्षित हो गया। हिंसा व तोड़फोड़ का इसमें खुलकर प्रयोग हुआ। भारत की आबादी का बड़ा भाग इससे दूर रहा। ब्रिटिश हुकूमत भारतीय पुलिस, फौज व नौकरशाही की सहायता लेकर इसे कुचल डालने में सफल हो गयी। फिर भी हजारों कुशाग्रबुद्धि नौजवान व महिलाओं ने स्वतन्त्रता-प्राप्ति की तीव्र उत्कण्ठा के साथ सशस्त्र विद्रोह का मार्ग चुन लिया। हमारी अपनी पुलिस व सेना के हाथों मारे जाकर (शहीद होकर) भारत ने वीर, कुशाग्रबुद्धि नौजवानों की एक पीढ़ी ही खो दी। उनमें से कई बरतानिया हवालातों में भयावह उत्पीड़न तथा अंग्रेजों द्वारा स्थापित समन्वय शिविरों में किये गये अत्याचारों को झेलने को बाध्य कर दिये गये। जेलों या शिविरों से बाहर

आने के बाद वे (हमारे ये नौजवान, वीर व वीरांगनाएँ) मानसिक व शारीरिक यातनाओं के कारण बरबाद हो चुके (होते) थे। शायद ही कोई उच्च कांग्रेसी नेता पुलिस द्वारा सताया गया या मृत्यु को प्राप्त हुआ हो। उन्हें तो बरतानिया जेलों में सुरक्षा का आश्रय दिया गया होता था। यदि थोड़े से ऐसे लोग अपवादस्वरूप थे तो वे कानून की आवश्यकता सिद्ध करने के लिये थे। जोरदार अफवाह उस समय यह फैलाई गयी कि इन नेताओं में से अधिकांश ने क्षमा-याचिका समर्पित कर या भविष्य में बरतानिया सरकार के प्रति सद्व्यवहार रखने के प्रतिज्ञापत्र पर सही करके रिहाई प्राप्त की है। ऐसे एक पत्र का मौलाना अबुलकलाम आजाद ने अपनी पुस्तक 'इण्डिया विन्स फ्रीडम' में उद्धृत किया है।

न तो केन्द्रीय सरकार, न ही प्रान्तीय सरकारें ही १९३५ से १९४६ तक सार्वजनिक जाँच के दायरे में आती थीं, न ये सरकारें इसके लिये किसी प्रकार भी जवाबदेह या इस हेतु किञ्चित संवेदनशील ही थीं। इस कानून ने समस्त सरकारी विभागों को भ्रष्ट तो किया ही, देश के लोगों को एक तरफ धर्म, भाषा एवं जाति के नाम पर बाँट दिया वहीं दूसरी तरफ इसके द्वारा प्रवर्तित अनुसूचित जाति के नाम से एक नयी जाति आज भी अपना रूप प्रदर्शित कर रही है।

एक महत्त्वपूर्ण प्रश्न जो सामने आता है, वह यह है कि यह उपनिवेशी कानून हमारे संविधान की आधारशिला एवं आदर्श के रूप में उस समय क्यों अपनाया गया या स्वीकार किया गया? इस प्रश्न का उत्तर हमारे संविधान-लेखन की ओर आने वाली सिलसिलेवार परिस्थितियों में समाहित है।

अंग्रेज भारत के लोगों को नहीं, अपितु भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को सत्ता हस्तान्तरित करना चाहता था। ब्रिटिश संसद में प्रधानमन्त्री क्लेमेन्ट एटली ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को भारत में अंग्रेजों का उत्तराधिकारी बताया था।

एटली के वक्तव्य का भारत के समाचार-पत्रों में उस समय गम्भीर प्रतिवाद हुआ था। अंग्रेजी दैनिक 'दी स्टेट्समैन' ने उस कदम की भर्त्सना करते हुए सम्पादकीय लिखा था। इतना कुछ होते हुए भी तथ्य रूप में हुआ यही कि भारत की स्वतन्त्रता कांग्रेस को सत्ता-हस्तान्तरण मात्र ही थी। यह विशुद्ध राजतन्त्रात्मक सत्ता से अकेली एक राजनीतिक पार्टी को सत्ता का हस्तान्तरण था। अंग्रेजी हुकूमत का उद्देश्य ही था कि जहाँ तक सम्भव हो सके यथास्थिति बहाल रखी जाये।

हमें याद रखना चाहिये कि द्वितीय विश्वयुद्ध में इंग्लैण्ड पूर्णत: विनष्ट हो चुका था तथा अपनी आर्थिक दशा को, जो तितर-बितर हो चुकी थी सुधारने में एक भारतीय सरकार की शुभेच्छा की उसे आवश्यकता थी। भारत का औद्योगिक एवं आर्थिक ढाँचा तब काफी मजबूत था। यहाँ उस घटनाक्रम की ओर नजर डालना भी आवश्यक है कि गवर्नमेन्ट ऑफ इण्डिया एक्ट, १९३५ ने किस प्रकार धीरे-धीरे हमारे संविधान में स्थान बना लिया।

१८ जुलाई १९४७ को ब्रिटिश संसद में भारतीय स्वतन्त्रता कानून, १९४७ पास हुआ। इसके पूर्व देश को भारत एवं पाकिस्तान के रूप में विभाजित करने के विस्तृत प्रयास किये गये। भारतीय स्वतन्त्रता कानून ने भारतीय विधायिका को पूर्ण प्रशासनिक क्षमता प्रदान कर दी, किन्तु उस कानून की धारा ८ के द्वारा भारत के संविधान-निर्माण की अवधि तक के लिये भारत के गवर्नर जनरल को गवर्नमेन्ट ऑफ इण्डिया ऐक्ट को आवश्यकतानुसार अपनाये रखने के लिये अधिकृत कर दिया गया। यथानुसार गवर्नर जनरल ने इण्डिया (प्रोविजनल) कांस्टीट्यूशन आदेश, १९४७ पास कर दिया जिसके अन्तर्गत (ब्रिटिश काल का वह कानून) गवर्नमेन्ट ऑफ इण्डिया ऐक्ट, १९३५ (हमारे देश) व्यवहाररूप में अमल में रहा।

संविधान सभा ने भीमराव अम्बेडकर के सभापतित्व में एक संविधान लेखन समिति नियुक्त कर दी जिसमें उनके साथ कुछ प्रसिद्ध वकील भी थे। किन्तु संविधान का मसौदा वास्तव में केन्द्रीय सचिवालय के न्यायिक विभाग के अफसरों ने ही तैयार किया। बी.एन. राव संविधान सलाहकार थे। भारत सरकार के न्यायिक विभाग के सचिव एस.एन. मुखर्जी ने संविधान निर्माताओं में एक के रूप में उन दिनों खूब प्रसिद्धि अर्जित की।

केवल मात्र मौलिक अधिकारों तथा राज्य के नीति-निर्देशक सिद्धान्तों वाले अध्यायों को छोड़ हमारा संविधान सर्वांगश: गवर्नमेन्ट ऑफ इण्डिया ऐक्ट, १९३५ पर

आधारित हुआ तथा इसमें सार्वभौम प्रौढ़ मताधिकार आदि की व्यवस्था को यथानुकूल परिवर्तनसहित स्थान मिल गया। सार्वजनिक उत्तरदायित्व की सर्वथा अनुपस्थिति या सरकारी तन्त्र के कार्यों पर किसी प्रकार की गणतान्त्रिक जाँच की कोई व्यवस्था या ऑफिशियल सीक्रेट्स ऐक्ट की गोपनीयता का जारी रहना- जैसी बातों पर कोई ध्यान नहीं दिया गया। सम्पूर्ण नागरिक सेवाओं की जनता के प्रति जवाबदेही नहीं रखी गयी तथा वे (सेवाओं में नियुक्त अधिकारीगण) पूर्ववत् ही अपने अपराधों के लिये बिना उनके विभाग की पूर्वानुमति के अभियोग से संरक्षण पाते रहे। यह समझा जा सकता है कि नौकरशाही स्वतन्त्रता-संग्राम में अपने पुराने क्रियाकलापों के चलते आशंकित थी तथा उसने अपने (स्वयं के) अधिकाधिक संरक्षण को जारी रखने का उपाय कर लिया।

सर्वाधिक आश्चर्य तो इस बात का है कि संविधान सभा में सरकारी तन्त्र के क्रियाकलाप में प्रत्यक्ष गणतन्त्रीय निगरानी के सर्वथा अभाव पर कोई कहने योग्य बहस ही नहीं हुई। न ही सरकार के कार्यों की जवाबदेही एवं पूर्ण गोपनीयता के सर्वथा अभाव पर ही संविधान सभा में कोई बहस कभी हुई।

विन्स्टन चर्चिल जैसे यथास्थितिवादी व परिवर्तन के विरोधी ने भी कहा था कि ऑफिशियल सीक्रेट्स ऐक्ट जैसे कानूनों का दायरा मात्र रक्षा एवं विदेशी मामलों तक सीमित रखा जाना चाहिये। विश्व में कोई ऐसा गणतान्त्रिक देश नहीं है जिसके पास इन्डियन ऑफिशियल सीक्रेट्स ऐक्ट जैसा कानून हो, यहाँ तक कि इंग्लैण्ड भी नहीं।

पुराने जमाने में बिहार का आम नागरिक सेवारत सरकारी अधिकारियों को काला अंग्रेज कहकर पुकारता था। आज अवश्य यह खिताब आसानी से हमारे देश के राजनीतिक नेतृत्व को दिया जा सकता है। यदि निष्पक्षता से आंकड़े इकट्ठे किये जा सकें तो वे बताएंगे कि विगत अर्धशताब्दी में हमारी अपनी राष्ट्रीय सरकारों के शासन में पुलिस की गोलियों तथा आतंकियों द्वारा की गयी हत्याओं तथा सत्ताधारियों के धार्मिक उन्मादियों के क्रियाकलाप के चलते मारे गये लोगों की संख्या कहीं अधिक है बनिस्बत उस संख्या के जो अंग्रेजों के शासन-काल में मारे गये। इन हत्याओं में कई तो जलियाँवाला बाग काण्ड से कम भीरुतावाली नहीं हैं।

मैं विगत शती के पचास या साठ (१९५० अथवा १९६०) के दशक के कांग्रेसी सांसद ब्रजेश्वर प्रसाद को उनके प्रति अत्यन्त आदर एवं प्रशंसा के भावों से याद करता हूँ। जनपथ, नई दिल्ली में ईस्टर्न कोर्ट के एक कक्ष में वे बैठा करते थे। मैं श्रीमती मार्गरेट अल्वा (वो भी कांग्रेसी सांसद थीं) जिन्हें मैं ब्रजेश्वर बाबू के चैम्बर में मिला था, को भी बड़े आदर भाव से स्मरण करता हूँ। एक शाम को ब्रजेश्वर बाबू के कक्ष में स्वतन्त्रता के परवर्तीकाल पर काफी उत्तेजनात्मक (परन्तु जीवन्त) परिचर्चा चल पड़ी और भी दो-एक व्यक्ति वहाँ थे। मैं तब एक अत्यन्त उद्वेगी एवं दृढ़ विचार वाला नौजवान था। वे मेरे समक्ष गरज पड़े- 'अरे, अंग्रेज गया तो कंग्रेज आया, तुमको क्या फर्क पड़ा' (देख, ब्रिटिश चला गया और उसकी जगह कांग्रेस ने ले ली है- बताओ तुम्हारे लिये क्या बदलाव आया?)

स्वतन्त्रता के कुछ माह पश्चात् गाँधी जी ने कलकत्ता के रामानन्द चटर्जी द्वारा प्रकाशित 'मॉडर्न रिव्यू' में लिखा था- ''...आज राजनीति भ्रष्ट हो चुकी है। राजनीति में जानेवाला हर कोई भ्रष्ट हो जाता है।'' (डॉ. मनमोहन सिंह ने २००५ में लोकायुक्तों को सम्बोधित करते हुए गाँधी जी की ये पक्तियाँ (वहाँ) उद्धृत की थीं।)

(हमारी) संसद आज भ्रष्टाचरण अपराधीकरण के चलते कमजोर से कमजोरतर हो गयी है। आदर्श पूरी तरह लुप्त हो चुके हैं। यह स्पष्ट परिलक्षित है कि एक पूर्णतः भ्रष्ट, स्वार्थी राज्य ने बातों की चतुराई से वोटरों को मात्र धोखा दे देकर राजसत्ता हथिया ली है (या सत्ता हासिल करने की नीति अपना रखी है।) हमारे कमजोर संविधान ने उनकी जड़ों को इतना गहरा जमा देने में मदद पहुँचायी है कि उन्हें अब सत्ताविहीन (या सत्ताच्युत) करना ही कठिन हो गया है। वे स्वयं को साम्यवादी, समाजवादी, वामपन्थी या दक्षिणपन्थी या अन्य किसी नाम से बताते हैं। उनमें से कुछ धार्मिक सम्प्रदायों के रहनुमा के रूप में प्रस्तुत होते हैं। चुनावों के समय एक भारतीय वोटर के लिये, चुनावों में उतरी सारी की सारी पार्टियाँ प्रायः प्रायः एक-दूसरे के समान ही होती है। यह बात और है कि

उनके नेता झगड़ते हों और सपक्षी आपस में घृणा भाव रखते हों। (एच.एस.मेनन)

औद्योगीकरण, सकल राष्ट्रीय उत्पाद में वृद्धि- ये अवश्य जरूरी हैं, परन्तु केवल यही साध्य या लक्ष्य नहीं है। शिक्षा की न्यूनता, गरीबी का जीवन-स्तर या गरीबी को छिपाने में इनका उपयोग कतई नहीं होना चाहिये (जो अब धड़ल्ले से हो रहा है)। यह तथ्य कि (हमारे देश के) मित्तल, अम्बानी व कुछ अन्य जन विश्व के सर्वाधिक सम्पन्न लोगों की श्रेणी में आ गये हैं, हमारे बहुसंख्य आधा पेट भर पाने वाले अशिक्षित गरीब भारतीयों के लिये यह सान्त्वना वाली बात तो नहीं हो सकती। न सिर्फ आर्थिक विकास ही हमारे देश की स्वतन्त्रता का कोई रक्षा-कवच या ढाल ही हो सकता है। भारत एक आर्थिक रूप से सम्पन्न व सैन्यशक्ति से मजबूत देश था, जब अंग्रेजों ने पलासी में हमें जीता था। जगत्-सेठों, अमीचन्दों और मीरजाफरों का विश्वासघात ही हमारी पराजय का कारण बना था। (अन्यथा) स्वतन्त्रता के प्रभातकाल में औद्योगिक रूप में भारत विश्व के अनेक देशों से अधिक विकसित (देश) था।

'भारत अन्य अनेक कम भाग्यशाली देशों से अधिक विकसित (देश) है तथा विश्व के औद्योगिक राष्ट्रों में हमारा सातवाँ या आठवाँ स्थान है।' (नेहरू द्वारा अमरीकी काँग्रेस में १९४९ में दिये गये भाषण से)

क्या कारण है कि हम फिसल कर नीचे आ गये जबकि अन्य देश काफी ऊँचे उठ गये। ऐसा क्यों हुआ?

किसी भी देश का संविधान उस देश को आगे ले जाने वाला इंजिन बताया जाता है वस्तुतः हुआ भी करता है। यदि यह सच है तो (कहना होगा) कि हमारा इंजिन तो ऐसा है जो हमारे देश को उल्टा यानि पीछे की ओर ले गया है।

हमें एक समुचित संविधान सभा को बुलाना चाहिये और देश को आगे ले जाने के लिये एक नये संविधान का निर्माण करना चाहिये।

संविधान को बदले बिना इसके रोगों (व्याधियों) को मिटाना अंसभव है। हम तभी रहेंगे (बचेंगे) यदि हमारा राष्ट्र रहेगा (बचेगा)। यदि राष्ट्र ही मर गया तो बचेगा कौन? -**भारतीय सर्वोच्च न्यायालय के वरिष्ठ अधिवक्ता**

१. कुल्लियाते आर्य मुसाफिर (पं. लेखराम ग्रन्थ संग्रह)- दो भाग

लेखक- पण्डित लेखराम

सम्पादक- प्रा. राजेन्द्र जिज्ञासु, अबोहर, पंजाब

मूल्य- रुपये ~~९००~~/- **छूट पर**- ६००/-

२. महर्षि दयानन्द का पत्र-व्यवहार (दो भाग में)

मूल्य - रुपये ~~८००~~/- **छूट पर** - ५००/-

३. अष्टाध्यायी भाष्य- ३ भाग (१ सैट)

भाष्यकार- महर्षि दयानन्द सरस्वती

मूल्य- रुपये ~~५००~~/- **छूट पर**- ३५०

पुस्तकें हेतु सम्पर्क करें:-

वैदिक पुस्तकालय, अजमेर से क्रय की जाने वाली पुस्तकों की राशि ऑनलाइन जमा कराने हेतु

खाता धारक का नाम - **वैदिक पुस्तकालय, अजमेर। दूरभाष - 0145-2460120**

बैंक का नाम - **पंजाब नेशनल बैंक, कचहरी रोड, अजमेर।**

बैंक बचत खाता **(Savings)** संख्या - **0008000100067176**

IFSC - PUNB0000800

सनातनियों के कुछ उत्तरित प्रश्नों पर विहङ्गम दृष्टिपात

आचार्य डॉ. रामप्रकाश वर्णी

जिस समय भारतवर्ष में अविद्या और अन्धकार चरम पर था, नित्य नूतन नाना मत-पन्थ अपने मनोमोहक रूप में जनमानस को बलात् आकृष्ट करते चले जा रहे थे, वैदिक-धर्मावलम्बिजन अपनी स्वाभाविक अविचलता को छोड़कर विचलित से हो रहे थे, मूर्तिपूजा, पाखण्ड, अन्धविश्वास और गुरुडम ''दिन-दूना और रात-चौगुना'' बढ़कर समग्र चेतना को अपने आगोश में समेट लेने को तत्पर था, अनगिन देवदासियों की पूतिगन्ध परितः प्रसृत होकर मन्दिरों के प्राङ्गण में उपचीयमान कालुष्य का डिण्डिमोद्घोष कर रही थी, पण्डों और पूजारियों के द्वारा दोहरे-दोपहर की जाने वाली जन-धन की लूट और कन्दर्प-दर्पजन्य केलि-कोलाहल दिग्दिगन्त को बहरा सा बनाये जा रहा था, सर्वत्र दुराचार और व्यभिचार पराकाष्ठा पर था, ऐसे भीषण समय में भारत-धराधाम के पावन रङ्गमञ्च पर देवाधिदेव महर्षि स्वामी दयानन्द सरस्वती का अवतरण हुआ। उन्होंने अकेले ही अपने उत्कट ब्रह्मचर्य और उद्दाम तपोबल से इन सभी को ललकारा और अनेक शास्त्रार्थ-समरों में इन्हें धूल भी चटाई। ऋषिवर का सुविचारित मन्तव्य था कि आर्षग्रन्थों का परित्याग और अनार्षग्रन्थों का परिग्रह ही सभी समस्याओं का मूल है। तदनुसार आर्षग्रन्थों के अध्ययन से स्वल्प परिश्रम द्वारा ढेरों मोतियों का लाभ और अनृषि पण्डितों के द्वारा प्रणीत ग्रन्थों के अध्ययन से कौड़ी का लाभ होता है, जो कि ''खोदा पहाड़ निकली चुहिया'' के समान अति तुच्छ है। अनृषि पण्डित शास्त्रों के मर्म को सरल और सहज रूप में प्रस्तुत करने को अपना अपमान मानते हैं। इसलिए वे ऐसी क्लिष्ट शब्दावली में अपने भावों को अभिव्यक्ति प्रदान करते हैं जिसे समझने में बहुत कष्ट होता है। तथाऽपि कई बार प्रबुद्ध अध्येता भी उसके भूतार्थ को समझ पाने में असमर्थ सा ही रहता है। कारण स्पष्ट है कि पण्डितों के ग्रन्थों में न तो 'अन्वय-व्यतिरेक' का ही ध्यान रखा जाता है और न 'वाक्यार्थबोध' के स्कन्धचतुष्टय का। परिणामतः क्लिष्टकल्पना-कलुषित होने के बाद भी उनके निष्कर्ष अस्पष्ट और कई बार तो वास्तविकता से भी कोसों दूर निकल जाते हैं। उन्हें पढ़कर पाठक 'जडपूजा, अवतारवाद, गुरुडम, अस्पृश्यता, जातिरूप-वर्णव्यवस्था' और फलितज्योतिष, भूत-प्रेत, पिशाच, शाकिनी, डाकिनी, तन्त्र-मन्त्रों आदि के मकड़जाल में उलझ कर आजीवन कष्ट उठाता है। जबकि ऋषि-मुनियों के पवित्र निदर्शन उसके अभ्युदय और निःश्रेयस् का मार्ग प्रशस्त करते हैं। महर्षि देव दयानन्द ने अपने सभी ग्रन्थों के द्वारा इसी दुरभिसन्धि को तोड़ा है। इसके लिए उन्होंने प्रबल युक्तियों और पुष्कल प्रमाणों का अवलम्बन किया है। तथाऽपि कई पण्डितब्रुवों को महर्षि के कथ्यों में अवितथ-तथ्यता की गन्ध आती है।

वे अवसर प्राप्त होने पर बार-बार अनार्यजनता में ऋषि के अभिप्राय के विरुद्ध विषवमन करके अपनी भड़ास निकालते रहते हैं। इधर स्वाध्याय-शून्य हमारे आर्यजन भी चुपचाप मौन रहकर सब सहन करते रहते हैं। परिणामतः आर्यपरिवारों के अन्दर भी अनार्यत्व बेखटके पैर पसारने लग गया है। इस विकट परिस्थिति ने लेखक को यह लेख लिखने को विवश कर दिया है। अतः मैं ऐसे कुछ प्रश्न जिनके कि उत्तर आर्यमनीषियों ने लिखित और मौखिक रूप से कई बार दे दिये हैं, अभिनव पाठकों के लाभार्थ यहाँ प्रस्तुत कर रहा हूँ। उद्देश्य यही है-

उठो आर्यों मशालें ले चलो पावन-सुधारों की।
गुँजा दो गूँज धरती पर दयानन्द के विचारों की।।
भटकती आज मानवता अन्धेरी तंग गलियों में।
ये रक्षक भूलकर आपा पड़े हैं रंगरलियों में।।
गुँजा दो साहसी सरगम सुजागृति के सितारों की।।

प्रश्न-१. वेद का स्वरूप क्या है तथा यह किन-किन ग्रन्थों का वाचक है?

उ. महर्षि स्वामी दयानन्द सरस्वती ने वेद शब्द को 'विद-ज्ञाने' (धा.सू. २।६९) विद-सत्तायाम् (धा.सू. ४।६६), विद्लृ-लाभे (धा.सू. ६। १४०), विद-विचारणे (धा.सू. ७। १७) इन धातुओं से 'करण' और 'अधिकरण' कारकों में 'हलश्च' (अष्टा. ३। ३। १२६) सूत्र से 'घञ्'

प्रत्यय करके निष्पन्न माना है और तदनुसार ही उन्होंने इसकी ''विदन्ति जानन्ति विद्यन्ते भवन्ति विन्दन्ति विन्दन्ते लभन्ते विन्दते विचारयन्ति सर्वे मनुष्या, सर्वा: सत्यविद्यायैर्येषु वा तथा विद्वान्सश्च भवन्ति ते वेदा:'' यह व्युत्पत्ति प्रदर्शित की है (द्र. ऋग्वेदादिभा. भू. वेदोत्पत्तिविषय:)। इसका तात्पर्य यह है कि जिनके पढ़ने से यथार्थ विद्या का विज्ञान होता है, जिनको पढ़कर विद्वान् होते हैं, जिनसे सब सुखों का लाभ होता है और जिन से ठीक-ठीक सत्यासत्य का विचार मनुष्यों को होता है। उससे ऋक्संहितादि का 'वेद' नाम है (द्र. वही)। वैसे वैदिकवाङ्मय में यह शब्द 'आद्युदात्त' और 'अन्तोदात्त' भेद से दो प्रकार का दृष्ट होता है। 'घञ्-प्रत्ययान्त' वेद शब्द 'आद्युदात्त' और 'अच्-प्रत्ययान्त' वेद शब्द 'चित:' (अष्टा. ६। १। १५७) सूत्र के अनुसार 'अन्तोदात्त' माना जाता है। आद्युदात्त 'वेद' शब्द का निर्वचन वैदिकवाङ्मय में मृग्य है। यह 'ज्ञान' का पर्यायवाची शब्द है। अन्तोदात्त 'वेद' शब्द के कई निर्वचन वैदिक साहित्य में उपलब्ध हो जाते हैं, जैसे-

तां (वेदिं) वेदेनान्विन्दन् (तै. ब्रा. ३। ३। ९। ९।)।
तं (यज्ञं) वेदेनान्विन्दँस्तदवेदस्य वेदत्वम्'
(मै. सं. १। ४। ८)।

'तां (वेदिं) वेदेनान्विन्दँस्तद्वेदस्य वेदत्वम्' (का. सं. ३१। १२)। आदि। यह शब्द '**दर्भमुष्टि**'= कुशाओं की मुष्टि अर्थात् मुट्ठीभर कुशाओं से बनाया गया सम्मार्जिनी रूप एक प्रकार के यज्ञोपयोगी-साधन अर्थ का वाचक होता है। शुक्ल यजुर्वेद संहिता २। २१ के '**वेदोऽसि.** इत्यादि मन्त्र और काण्व सं. १। ७। ५ में पठित अन्तोदात्त' वेद शब्द भी यज्ञीयद उपकरण का ही वाचक है। जैसा कि कात्यायन के सूत्र पर '**पत्नी वेदं प्रमुञ्चति-वेदोऽसीति**' (३। ८। २) इस मन्त्र के वेदसमुंचनात्मक विनियोग से सुस्पष्ट है। यही विचार कर महामति आचार्य पाणिनि ने अन्तोदात्त प्रकरण में वेग-वेद चेष्टबन्धा: करणे (गणपाठ-१२७ अष्टा. ६। १। १६०) इस 'उञ्छादिगण सूत्र' (अष्टा. ६। १। १५४) सूत्र में 'करणे' इस पद का सन्निवेश किया है। इसका लाभ यह है कि 'करण' अर्थ से भिन्न अर्थ के वाच्य होने पर घञ्-प्रत्ययान्त 'वेद' शब्द 'आद्युदात्त' और तद्भिन्न अर्थ में 'अन्तोदात्त' होगा। इसी लिए कर्तृवाचक अच्प्रत्ययान्त 'वेद' शब्द को 'चित्प्रत्यय' के कारण 'अन्तोदात्त स्वर' के प्राप्त होने पर उसका सूत्रकार ने आद्युदात्त-प्रकरण वाले 'वृषादि-गण' 'वृषादीनां च' (अष्टा. ६। १। १९७) में पाठ किया है। इस प्रकार प्रस्तुत प्रश्नगत 'वेद' शब्द 'ज्ञान' अर्थ का वाचक और 'आद्युदात्त-स्वर' वाला है। यही 'वेद' शब्द आधार और आधेय में अभेद-विवक्षा से ज्ञान-विज्ञान के आधार रूप 'ग्रन्थ' के अर्थ में भी प्रयुक्त होता है। यद्यपि सामान्यत: यौगिकार्थ को लेकर चलें, तो यह 'वेदसंज्ञा' प्रत्येक ग्रन्थ के लिए प्रयुक्त हो सकती है, तथाऽपि 'पङ्कज' आदि 'योगरूढ-शब्दों की भाँति यह चार संहिता रूप ग्रन्थराशि' की ही संज्ञा है। इसकी सम्पुष्टि महाभाष्यकार पतञ्जलि के 'चत्वारो वेदा साङ्गा: सरहस्या:...' इस सन्दर्भ से होती है। इस प्रकार 'ऋक्- जहाँ अर्थानुरोध से पाद व्यवस्था है' वह शैली, जो कि 'पद्य के समतुल्य है वह' 'यजु:' जो गद्य रूप है वह शैली, एवं 'साम' जो कि ऋचाओं को विशेष रूप से गाने की शैली है वह, इन तीनों प्रकार की शैलियों में निबद्ध मन्त्र-राशि को 'वेद' कहा जाता है। इसमें एक वर्णमात्र की भी न्यूनाधिकता अब तक न तो हुई है और न होगी। इसी के संबन्ध में ''एवं वा अरेऽस्य महतो भूतस्य नि:श्वसितमेतद् यदृग्वेदो यजुर्वेद: सामवेदोऽथर्वाङ्गिरस इतिहास: पुराणमिति (बृहादा. २। ४। १०) यह कहा गया है।'' यही वह ज्ञानराशि है जिसे कि 'अनन्ता वै वेदा:' कह कर अभिहित किया जाता है। महर्षि स्वामी दयानन्द सरस्वती ने इसी की ओर लौटकर चलने का निर्देश किया है। यह प्रष्टा के पूछे गये आधे प्रश्न का उत्तर हुआ। उसके प्रश्न का शेषांश यह है कि 'वेद किन-किन ग्रन्थों का वाचक है।' सम्प्रति सुसंक्षेप में यह इस प्रकार ज्ञेय है-

इस विषय में विद्वानों में बहुत समय से विवाद चलता चला आ रहा है। यद्यपि महर्षि दयानन्द सरस्वती ने अपने अकाट्य तर्कों और प्रमाणों से इसे पूर्णत: समाप्त कर दिया है। फिर भी ज्ञानलव-दुर्विदग्ध जन हैं कि चुप नहीं होते हैं। वे कहते हैं-

क- चार 'मन्त्र संहिताएँ' ही वेद हैं।

ख- चार मन्त्र संहिताएँ ही नहीं उनके साथ-साथ

'ब्राह्मणग्रन्थ' भी वेद हैं।

ग- मन्त्र और 'ब्राह्मणग्रन्थों' के अतिरिक्त 'आरण्यक' और 'उपनिषद् ग्रन्थ' भी वेद हैं।

घ- कुछ विद्वान् 'कल्पसूत्र' और 'पूर्वमीमांसा' को भी वेद मानते हैं।

ङ- कुछ मनीषिगण 'शिक्षा' आदि 'षडङ्गों' को भी वेदों में समाहित करना चाहते हैं।

यहाँ हम इन सभी मतवादों पर सटीक किन्तु अति संक्षिप्त विचार कर रहे हैं-

क- यह सिद्धान्तपक्ष है। महर्षि स्वामी दयानन्द सरस्वती ने 'ऋग्वेदादिभाष्यभूमिका' के 'वेदसंज्ञा-विचारः' प्रकरण में 'अथ कोऽयं वेदो नाम मन्त्रभाग संहितेत्याह' लिखकर इसका प्रतिपादन किया है। 'मन्त्रब्राह्मणयोर्वेदनामधेयम्' इस आपस्तम्बीय श्रौतसूत्र के व्याख्यान में 'धूर्तस्वामी' ने भी 'कैश्चिन्मन्त्राणामेव वेदत्वमाश्रितम्' यह लिखकर इसको इङ्गित किया है तथा हरदत्त का भी ऐसा ही लेख है।

ख- यह विचार 'मन्त्रब्राह्मणयोर्वेदनामधेयम्' इस 'कृष्णयजुःश्रौतसूत्रकार' से अनुप्राणित है। 'कौषीतकि गृह्यवचन' (३।१५।५६) के ''मन्त्रब्राह्मणयोर्वेदशब्दाः'' इस लेख से भी इसकी सम्पुष्टि होती है। यहाँ वह ध्यातव्य है कि 'यत्परः शब्दः स शब्दार्थः' इसके अनुसार किसी शब्द के स्वाभाविक अकृत्रिम अर्थ को उसका 'मुख्य अर्थ' और प्रत्यत्नपूर्वक किये जाने वाले कृत्रिम पारिभाषिक अर्थ को 'गौण-अर्थ' माना जाता है। इसी प्रकार 'साहचर्यादि' निमित्तों से अभिनिर्वृत्त अर्थ भी नैमित्तिक होने से गौण माना जाता है। इस दृष्टि से देखा जाये तो स्पष्ट विहित होता है कि 'ऋग्वेदोऽधीयते। यजुर्वेदोऽधीयते। सामवेदोऽधीयते' इत्यादि वाक्यों में मन्त्रों की 'वेद संज्ञा' को प्रस्थापित करने के लिए कोई भी प्रयत्न नहीं करना पड़ता है और न कोई वह अलग से नामोल्लेखपूर्वक उक्त वाक्यात्मक कथन ही करता है। जबकि ब्राह्मणग्रन्थों और उपनिषद्-ग्रन्थों के साथ यह अनिवार्यतः होता है। अतः इनकी 'वेदसंज्ञा' सर्वथा प्रयत्न-निर्वर्त्य होने से 'गौण संज्ञा' है, जो कि व्याकरणशास्त्रीय 'वृद्धि' और 'गुण' आदि संज्ञाओं की भाँति स्वशास्त्रीय सीमा में ही व्यवहृत होती है सर्वत्र नहीं। जहाँ इस पारिभाषिक-गौणसंज्ञा की प्रवृत्ति नहीं होती है वहाँ 'वेदसंज्ञा' से 'मन्त्रात्मकसंहिता भाग' का ही ग्रहण किया जाता है। अतः 'मन्त्र' ही वेद का स्वाभाविक होने से 'मुख्यार्थ' है। इसके अतिरिक्त मन्त्र 'अपौरुषेय' हैं और ब्राह्मणग्रन्थ याज्ञवल्क्यादि कृत होने से 'पौरुषेय' हैं। अतः इन दोनों का योग 'वेदपदभाक्' नहीं हो सकता है। उक्त सूत्र याज्ञिक कर्म-काण्ड की सीमा तक ही सीमित है।

ग-घ-ङ- इन मतों की प्रवृत्ति क्रमशः आचार्य सायणकृत 'ऋग्भाष्योपक्रमणिका' के अन्तर्गत उपनिषद्ग्रन्थों का आरण्यक ग्रन्थों में और आरण्यकों का ब्राह्मणग्रन्थों में अन्तर्भाव स्वीकार कर लेने के कारण होती है। पारस्कर गृह सूत्र २।६।५ के 'विधिर्विधेयस्तर्कश्च वेदः' सूत्र के गदाधर कृत 'तर्को मीमांसेति कल्पतरुः' इस अर्थ और 'भर्तृयज्ञ' के 'तर्कः कल्पसूत्रम्' इस अर्थ एवं 'विश्वनाथ' के 'तर्को न्यायमीमांसे अर्थवाद इति केचित्' इस लेख से होती है। पास्कर गृहसूत्र के 'विधिर्विधेयस्तर्कश्च वेदः षडङ्गमेके न कल्पमात्रे' (२।६।५।६७) को भी वेदसंज्ञार्थ उद्धृत किया जाता है। यहाँ यह विशेष रूप से जानने योग्य है कि अपौरुषेय, नित्य मन्त्र रूप वेद का पौरुषेय और अनित्य कालविशेष सम्पाद्य 'ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद्' और षडङ्ग के साथ संबन्ध कथमपि सम्भव नहीं है। ये ग्रन्थ वेदमूलक तो कहे जा सकते हैं 'वेद' नहीं। अपरञ्च 'मन्त्रब्राह्मणयो' यह सूत्र कृष्ण यजुर्वेद जिसमें कि 'मन्त्रभाग' के साथ 'ब्राह्मणभाग' भी संमिश्रित है के श्रौत सूत्रों में ही (आपस्तम्ब, सत्याषाढ़, बौधायन आदि में) उपलब्ध होता है, ऋग्वेद, शुक्लयजुर्वेद और सामवेद संबन्धी 'शाङ्खायन, कात्यायन, द्राह्यायण, लाट्यायन' प्रभृति श्रौतसूत्रों में नहीं। अतः स्पष्ट है कि शुद्ध मन्त्रात्मक भाग की ही पूर्वतः 'वेदसंज्ञा' प्रसिद्ध थी 'ब्राह्मणादि सहित' की नहीं। इसलिए उसको भी 'वेदसंज्ञा' प्रदान कराने के लिए उक्त सूत्र के रूप में यह प्रयत्न किया गया है। यह सूत्र जहाँ भी पठित है वहाँ यह 'परिभाषा-प्रकरण' में ही पठित है। अतः यह कृत्रिम परिभाषा रूप संज्ञा है। जो कि निश्चित ही पाणिनीय 'टि, धु, भ' आदि संज्ञाओं के समतुल्य होने से कृत्रिमा कृत्रिमयोः, कृत्रिमे कार्यसम्प्रत्ययः के अनुसार उन्हीं श्रौतसूत्रों में स्वकीय शास्त्रीय कार्यों के निर्वहणार्थ समनियत है। यह न तो सार्वत्रिक है और न ही सर्वसम्मत। इसलिए मन्त्रात्मक 'ऋग्यजुः साम' और 'अथर्ववेद' रूप चार संहिताएँ ही वेद हैं।

(परोपकारिणी सभा द्वारा संचालित)

योग–साधना एवं स्वाध्याय शिविर

परिवर्तित दिनांक : १५ से २२ सितम्बर २०१९

आज समाज के अनेक क्षेत्रों में अनेक प्रकार से लोग साधना के लिए प्रयासरत हो रहे हैं। अनेक प्रशिक्षकों द्वारा इस विषयक ज्ञान–विज्ञान भी प्रदान किया जा रहा है। फिर भी साधकों को साधना की सन्तुष्टिदायक स्थिति प्राप्त नहीं हो पा रही है। इसका कारण है कि साधना के विषय **साध्य, साधन, साधक व अन्य साधकों–बाधकों** के ज्ञान का वैदिक परम्परा से दूर होना। इस योग–साधना शिविर में इन्हीं विषयों का वैदिक–दर्शनों के द्वारा ज्ञान करवाया जायेगा, उससे सम्बन्धित जिज्ञासाओं का समाधान व आत्मनिरीक्षण के द्वारा अपनी उन्नति का मापदण्ड बताया जायेगा। यह शिविर अवश्य ही आपकी साधना की उन्नति में विशेष साधन बनेगा, जिससे कि मानव जीवन के मुख्य व चरम लक्ष्य की प्राप्ति उत्तरोत्तर काल में आप अपने निकट अनुभव करने लगेंगे।

प्रार्थियों हेतु नियम व अनुशासन

१. प्रत्येक प्रार्थी के लिए पूर्ण मौन अनिवार्य होगा।
२. शिविर के काल में किसी साधक के द्वारा नियम व अनुशासन भंग करने पर उसे शिविर के मध्य में ही शिविर छोड़ने के लिए बाध्य किया जा सकता है।
३. पूरे शिविर में साधक के द्वारा किसी भी माध्यम से बाह्य–सम्पर्क करना निषिद्ध रहेगा।
४. शिविर काल में किसी भी साधक को ऋषि उद्यान परिसर से बाहर जाने की अनुमति नहीं होगी।
५. साधकों की मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति ऋषि–उद्यान परिसर में ही की जायेगी।
६. बाह्य–वृत्ति उत्पादक साधनों जैसे– समाचार–पत्र पढ़ना, आकाशवाणी श्रवण व दूरदर्शन देखने आदि पर पूर्ण प्रतिबन्ध रहेगा।
७. किसी प्रकार का शारीरिक रोग यथा– खाँसी, जुकाम अथवा अन्य कोई ध्वनि उत्पादक रोग वाले को प्रवेश नहीं दिया जायेगा।
८. बच्चों को साथ लाये जाने पर प्रार्थी को शिविर में प्रवेश नहीं दिया जाएगा।
९. शिविर के प्रारम्भ दिन से लेकर समापन–सत्र पर्यन्त पूर्ण रूप से शिविर में भाग लेना अनिवार्य होगा।
१०. नियम व अनुशासन के पालन को आवेदन में ही लिखित स्वीकार करना होगा।

उपरिलिखित किसी भी नियम व अनुशासन का पालन करने में असमर्थ व अयोग्य प्रार्थी को शिविर में प्रवेश नहीं दिया जायेगा।

प्रार्थियों के लिए सूचनाएँ– परोपकारिणी सभा, केसरगंज, अजमेर (राज.) कार्यालय से (०१४५–२४६०१६४) से संपर्क कर शिविर से पूर्व शुल्क जमा करवा कर अपने नाम का पंजीयन करा लें। शिविर में माता–बहिनें भी भाग ले सकती हैं। पुरुषों एवं महिलाओं के आवास की सामूहिक व्यवस्था पृथक्–पृथक् की जाती है। पृथक् कक्ष की व्यवस्था पूर्व सूचना व उपलब्धता के अनुसार की जाती है। ऋषि उद्यान में दरी, गद्दे, तकिए एवं बर्तन उपलब्ध हैं, शेष दैनिक उपयोग की वस्तुएँ यथा मंजन, ब्रश, साबुन, तेल, दवाएँ, बिछाने–ओढ़ने की चादरें, लिखने के लिए संचिका (नोटबुक), लेखनी, करदीप (टार्च) आदि को साधक अपने साथ लाएँ। वस्त्र सादगी एवं

शिष्टाचार के अनुकूल हों, आभूषणों एवं सुगन्धित द्रव्यों का उपयोग न हो। आपके पास योगदर्शन हो तो साथ लाएँ। सतर्कता की दृष्टि से कीमती वस्तुएँ साथ न लायें। यदि आपको कोई संक्रामक रोग, तेज खांसी, दमा, मिर्गी आदि मानसिक रोग, वायु विकार या अन्य गंभीर रोग हो, तो कृपया शिविर में आना स्थगित रखें। लौटने का रेल-आरक्षण शिविर में आने से पूर्व करवा लें। अजमेर पहुँचने की सूचना घर पर देनी हो तो शिविर स्थल में प्रवेश से पहले दे देवें। खाने-पीने की वस्तुएँ साथ न लावें।

यह शिविर परोपकारिणी सभा, अजमेर के सौजन्य से आयोजित किया जा रहा है। शिविर शुल्क १००० रु. मात्र जमा करना होगा। पृथक् कक्ष का शुल्क १००० रु. अतिरिक्त देय है। शिविर में भाग लेने वालों को शिविर के प्रारंभ दिनांक को सायं चार बजे तक शिविर स्थल ऋषि उद्यान, पुष्कर मार्ग, अजमेर (०१४५-२६२१२७०) में पहुँच जाना आवश्यक है क्योंकि इसी दिन शाम को शिविर के अनुशासन एवं विभिन्न व्यवस्थाओं संबन्धी महत्त्वपूर्ण सूचनाएँ दी जाएँगी। शिविर का समापन अन्तिम दिन दोपहर एक बजे तक होगा। शिविर समाप्ति से पूर्व जाने की अनुमति नहीं दी जायेगी।

शिविर से आपका जीवन श्रेष्ठतर व पवित्रतर बने, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ।

मन्त्री, परोपकारिणी सभा, केसरगंज, अजमेर दूरभाष : ०१४५-२४६०१६४

: मार्ग :

ऋषि उद्यान शिविर स्थल पर पहुंचने के लिए फॉयसागर की ओर जाने वाली सिटी बस या ऑटो-रिक्शा, रेलवे स्टेशन व बस स्टेण्ड से (वाया-आगरा गेट/फव्वारा चौराहा) सर्वदा सुलभ रहते हैं।

email:psabhaa@gmail.com

संयोजक

एक आहुति अपने आचार्य के लिए.....

ऋषि दयानन्द की उत्तराधिकारिणी परोपकारिणी सभा की तन, मन, धन से सेवा करने वाले, उसे अपनी मातृवत् समझने वाले और यहाँ तक कि अपना जीवन समर्पित कर देने वाले डॉ. धर्मवीर आज अपना समस्त भार आर्य जनता अर्थात् अपने उत्तराधिकारियों पर छोड़ गये हैं। उन्होंने ऋषि के स्वप्नों को अपना कर्त्तव्य समझकर सभा को गगनचुंबी ऊँचाइयों तक पहुँचाया। अनेक नये प्रकल्प चलाये यथा-वैदिक गुरुकुल, गोशाला, आश्रम, अतिथियों के ठहरने व खान-पान की नि:शुल्क व्यवस्था आदि। उन्होंने जो-जो कार्य छेड़े उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति में कभी न्यूनता न आने दी। परोपकारिणी सभा ऐसे पुत्र को प्राप्त कर गौरव का अनुभव करती है और बिछुड़कर शोकग्रस्त होने का भी। उनके द्वारा शुरु किये कार्य कभी शिथिल न पड़ें, इस कारण **सभा ने डॉ. धर्मवीर जी की स्मृति में एक करोड़ रु. की स्थिर निधि बनाने का संकल्प लिया है,** जिससे कि धन धर्म के काम आ सके। इसमें सन्देह नहीं कि ये समस्त कार्य आर्य जनता के सहयोग से ही प्रारम्भ हो सके हैं और सहयोग से ही चल भी रहे हैं। इसलिये इसमें भी सन्देह नहीं कि सभा के इस संकल्प को आर्य जनता शीघ्र पूर्णता की ओर पहुँचा देगी और शायद उससे भी कहीं बढ़कर। यज्ञ तो हवि माँगता है। बिना हवि के यज्ञ की कल्पना भी क्या? बस देरी तो सूचित होने की है। हवि बनना तो आर्यों के खून में है, तन से, मन से अथवा धन से।

आप अपना दान चैक, ड्राफ्ट या सभा के खाते में सीधे भी भेज सकते हैं। कृपया, राशि भेजने के पश्चात् सभा में दूरभाष या पत्र द्वारा अवश्य सूचित कर दें।

कन्हैयालाल आर्य - मन्त्री

संस्था की ओर से....

क्या आप प्रतिदिन अतिथि यज्ञ नहीं कर पाते?
तो आइये, अतिथि यज्ञ के होता बनिये

वैदिक नित्यकर्मों में अतिथि यज्ञ प्रतिदिन करना अनिवार्य है, किन्तु आपको प्रतिदिन अतिथि मिलना संभव नहीं, फिर अतिथि यज्ञ कैसे किया जाय? इसका उपाय है, कुछ राशि प्रतिदिन अतिथि यज्ञ के नाम से निकाल ली जाये और उसको एकत्र कर अतिथि सत्कार में गुरुकुल में भोजन आदि के सहयोग में दे दी जाय।

यह अल्प राशि आप दैनिक संचय घट में जमा भी कर सकते हैं, वर्ष में लोग अरबों रुपए आग में पटाखे जलाकर व्यय करते हैं, असावधानी से बिजली जलती छोड़ इसे गंवा देते हैं आदि ऐसी छोटी-छोटी असावधानियों को रोक कर हम उसकी बचत राशि इस पावन कृत्य हेतु सभा को वर्ष में आसानी से दे सकते हैं।

सभा के धार्मिक क्रियाकलापों एवं आवासीय स्थल ऋषि उद्यान में उपर्युक्त पावन क्रियाकलाप लम्बे समय तक अबाध चलते रहें, इसके लिए सभा की योजना है कि प्रतिदिन प्रतिवर्ष ५ हजार एक सौ रु. की राशि प्रदान करने वाले उदार यशस्वी दानदाताओं का नाम अतिथि यज्ञ के स्थायी सदस्यों में अंकित किया जाता है ऐसे सज्जनों के नाम का परोपकारी में प्रकाशित भी किये जाते हैं।

यदि अपने सामर्थ्य के अनुसार राशि को न्यूनाधिक करना चाहें तो आपकी स्वतन्त्रता है अधिक से अधिक लोग परोपकारिणी सभा से जुड़ सकें, आप ऐसा करके ऋषि दयानन्द के कार्यों को आगे बढ़ाने में सहायक होंगे इसलिए ऐसी राशि निश्चित की है। आप से प्रार्थना है अपना नाम पता और संकल्प लिखकर अवगत करायें और अतिथि यज्ञ के होता बनें। अपनी राशि प्रतिमाह अथवा सुविधानुसार मनीआर्डर/डीडी/चैक द्वारा अथवा स्वयं उपस्थित होकर कार्यालय में जमा करा सकते हैं। आपका दान ८०जी (आयकर की धारा) के अंतर्गत कर मुक्त होगा।

अनेक 'अतिथि यज्ञ के होता' सदस्यों का आग्रह है, निश्चित तिथि जन्मदिन, विवाह वर्षगांठ या विशेष अवसर पर वे अपनी ओर से संस्था में भोजन कराना चाहते हैं। ऐसे महानुभावों से निवेदन है कि वे अतिथि यज्ञ के होता के रूप में एक दिन के भोजन व्यय की राशि लगभग पाँच हजार एक सौ रुपये भेजते हुए इच्छित दिन का विवरण सूचित करेंगे तो उन्हें उनके जन्मदिवस आदि पर परोपकारिणी सभा की ओर से दूरभाष द्वारा आशीर्वाद प्रदान किया जायेगा। यदि उस शुभ अवसर पर वे स्वयं उपस्थित होकर यजमान बनें तो यह सर्वोत्तम होगा।

अतिथि-यज्ञ के होताओं से अनुरोध

अतिथि-यज्ञ के होताओं से उनकी वैवाहिक वर्षगाँठ अथवा जन्मदिन व विभिन्न अवसरों पर ५१०० रु. प्रतिवर्ष सभा को प्राप्त होते रहते हैं। जो महानुभाव संकल्प के साथ इस पुनीत कार्य से जुड़े हुए हैं, उनसे हमारा अनुरोध है कि वे अपनी राशि भेजते समय **जन्मतिथि/वैवाहिक वर्षगाँठ आदि व दूरभाष संख्या** सूचित करना न भूलें। साथ ही यह भी अवश्य सूचित करा देवें कि पहले से भिजवा रहे हैं अथवा नया शुरू किया है। आप अपनी राशि सभा के बैंक खाते में नकद अथवा चैक द्वारा जमा करा सकते हैं।

परोपकारिणी सभा की गतिविधियाँ

परोपकारिणी सभा महर्षि दयानन्द सरस्वती द्वारा स्थापित उनकी उत्तराधिकारिणी सभा है और केवल नाम से ही नहीं, बल्कि अपने कार्यों से भी वह ऋषि के उत्तराधिकार के दायित्व को पूर्णतया निभा रही है। महर्षि दयानन्द सरस्वती

ने इस सभा की स्थापना के समय तीन उद्देश्य रखे थे।

१. वेदादि सत्यशास्त्रों का प्रकाशन २. विद्वान् उपदेशक तैयार करके देश-विदेश में वैदिक धर्म का प्रचार एवं ३. आर्यावर्त्तीय दीन-दरिद्रों की सेवा।

इन सभी कार्यों को सभा अपने विभिन्न प्रकल्पों के माध्यम से पूरा करने में सर्वसामर्थ्य से लगी हुई है। यद्यपि सभा के पास आर्थिक आय का कोई स्थाई माध्यम नहीं है, पुनरपि ऋषिभक्तों एवं आर्यजनों के सहयोग और विश्वास पर ही सभा ने बड़े-बड़े कार्यों को प्रारम्भ किया और निरन्तर कर भी रही है। आचार्य डॉ. धर्मवीर जी, जो कि वर्तमान में परोपकारिणी सभा के प्रधान एवं मूल स्तम्भ थे, उनका कहना था कि **''कार्य यदि अच्छा है तो उसे प्रारम्भ कर देना चाहिये, सहयोग तो स्वयं ही मिल जाता है।''** यही शैली अपनाकर आज भी वैदिक विचार के प्रचार का कार्य निरन्तर जारी है। डॉ. धर्मवीर जी के जाने से सभा को बड़ा आघात अवश्य लगा है, परन्तु आर्यों का स्नेह, भरोसा उनके द्वारा प्रारम्भ किये गये कार्यों को रुकने नहीं देगा-ऐसा सभा को पूर्ण विश्वास है।

परोपकारिणी सभा आज अनेक कार्यों, माध्यमों से इस वेद प्रचार यज्ञ में लगी है, जिसकी सूची यहाँ दी जा रही है-

भव्य ऋषि उद्यान आश्रम, अतिथि यज्ञ, भोजनशाला, गौशाला, वानप्रस्थ एवं संन्यासाश्रम, गुरुकुल, परोपकारी पत्रिका, प्रकाशन, योग साधना एवं चरित्र निर्माण शिविर, सत्यार्थ प्रकाश व ऋषि जीवन चरित्र का नि:शुल्क वितरण, पाण्डुलिपियों का डिजिटलाइजेशन, पुस्तकालय, औषधालय, देश-देशान्तरों में वेद-प्रचार, आयुर्वेदिक औषधालय।

दयानन्द धर्मार्थ चिकित्सालय

परोपकारिणी सभा द्वारा संचालित ऋषि उद्यान में वर्ष २०१२ से आयुर्वेदिक चिकित्सालय चल रहा है। चिकित्सालय में उपलब्ध सभी औषधियाँ नि:शुल्क दी जाती हैं।

दानी महानुभावों से सहयोग की भी अपेक्षा है।

परोपकारिणी सभा में आयुर्वेदिक चिकित्सक की आवश्यकता

सभा द्वारा संचालित आयुर्वेदिक चिकित्सालय के लिये योग्य आयुर्वेदिक चिकित्सक की आवश्यकता है। चिकित्सालय में सेवा देने का समय प्रतिदिन २ घण्टे है। आवास, भोजन आदि की व्यवस्था सभी की ओर से ही होगी।

सम्पर्क- ०१४५-२६२१२७०, ९४६०४२११८३

परोपकारिणी सभा के प्रकल्पों में सहयोग करने हेतु

खाताधारक का नाम - परोपकारिणी सभा, अजमेर (PAROPKARINI SABHA AJMER)

१. बैंक का नाम-**भारतीय स्टेट बैंक, डिग्गी बाजार, अजमेर।**

बैंक बचत खाता **(Savings)** संख्या-**10158172715**

IFSC-SBIN0007959

२. बैंक का नाम-**आई.डी.बी.आई**, पावर हाउस के सामने, जयपुर रोड, अजमेर।

बैंक बचत खाता **(Savings)** संख्या-**091104000057530**

IFSC-IBKL0000091 email : psabhaa@gmail.com

दानदाताओं की सूची

अतिथि यज्ञ के होता

(०१ से ३१ अगस्त २०१९ तक)

१. श्री माणिकचन्द जैन, छोटी खाटु २. श्री सुरेन्द्र सिंह यादव, रेवाड़ी ३. श्री चतर सिंह नागर, नई दिल्ली ४. श्री लक्ष्मण आर्य (मुनि), अजमेर ५. श्री शंकर मुनि, अजमेर।

गोभक्तों से निवेदन

ऋषि-उद्यान में परमार्थ हेतु गोशाला संचालित है। गोशाला की गौवों के दूध का वितरण सभी गुरुकुलवासियों, संन्यासियों एवं आगन्तुक अतिथियों में नि:शुल्क किया जाता है। आप सभी गौ-भक्तों एवं उदारमना दानदाताओं से सभा का निवेदन है कि गौवों को उत्तम चारा मिले, इसके लिए जो भी सज्जन चारा दान देना चाहें उनका स्वागत है। यदि आप दूरस्थ प्रदेश के हैं तो कृपया चारे हेतु अनुमानित राशि सभा को ड्राफ्ट/चैक/नगद भेज सकते हैं। यशस्वी दानदाताओं के नाम परोपकारी पत्रिका में प्रकाशित किए जाएँगे। आपका दान गौवों के संवर्धन में सहायक होगा।

ऋषि-उद्यान में संचालित गोशाला के दानदाता

(०१ से ३१ अगस्त २०१९ तक)

१. श्री माणिक चन्द जैन, छोटी खाटु २. श्री हरसहाय सिंह आर्य, बरेली ३. श्री योगेश्वर होशियार आर्य, जम्मू-कश्मीर ४. श्री विनीत चौहान, अजमेर ५. स्वामी आशुतोष, अजमेर ६. श्री लक्ष्मण आर्य (मुनि), अजमेर ७. श्री भँवरसिंह शेखावत, अजमेर ८. क्वीन मेरी स्कूल, अजमेर।

गुरुकुल के लिये प्रवेश-सूचना

परोपकारिणी सभा, अजमेर द्वारा संचालित महर्षि दयानन्द आर्ष गुरुकुल, ऋषि उद्यान-अजमेर में वैदिक धर्म एवं आर्यसमाज के उपदेशक तैयार करने हेतु उपदेशक कक्षा में प्रवेश प्रारम्भ हैं।

प्रवेशार्थी की न्यूनतम आयु १४ वर्ष तथा कक्षा आठ या उससे अधिक उत्तीर्ण हो। आर्ष-पद्धति से व्याकरण, दर्शन तथा महर्षि निर्दिष्ट पाठ्यक्रम के अध्यापन की व्यवस्था है।

गुरुकुल में अध्यापन, भोजन एवं आवास की नि:शुल्क व्यवस्था है।

प्रवेश के इच्छुक अभ्यर्थी सम्पर्क करें-

आचार्य, आर्ष गुरुकुल, ऋषि उद्यान, पुष्कर रोड, अजमेर।

दूरभाष- ०१४५-२४६०१६४, ०१४५-२६२१२७०

अग्नि और जल संसार के सब व्यवहारों के कारण हैं, इस से गृहस्थजन विशेषकर अग्नि और जल के गुणों को जानें और गृहस्थ के सब काम सत्य व्यवहार से करें।

- महर्षि दयानन्द, यजुर्वेद, भावार्थ ८.२४

परोपकारिणी सभा, अजमेर के तत्त्वावधान में
१३६ वाँ ऋषि बलिदान समारोह
दिनांक १, २, ३ नवम्बर २०१९, शुक्र, शनि, रविवार

विराट् व्यक्तित्त्व महर्षि दयानन्द की समग्र मानव जाति ऋणी है। इस ऋण को चुकाने का स्वर्ण-अवसर ऋषि के १३६वें बलिदान वर्ष के उपलक्ष्य में हमको प्राप्त हुआ है। इस अवसर पर परोपकारिणी सभा भव्य समारोह का आयोजन करने जा रही है।

यजुर्वेद पारायण यज्ञ- 'यजुर्वेद पारायण यज्ञ' की पूर्णाहुति बलिदान समारोह के अन्तिम दिन ३ नवम्बर को प्रातः १० बजे होगी। यज्ञ के ब्रह्मा आर्यजगत् के प्रतिष्ठित विद्वान् डॉ. विनय विद्यालंकार-प्रधान आर्य प्रतिनिधि सभा, उत्तराखण्ड होंगे।

वेदगोष्ठी - प्रतिवर्ष की परम्परा के अनुसार इस वर्ष भी अन्तर्राष्ट्रीय दयानन्द वेदपीठ दिल्ली एवं अनुसन्धान केन्द्र परोपकारिणी सभा के संयुक्त प्रयास से वेदगोष्ठी का आयोजन किया जायेगा। इस गोष्ठी में देश के विविध विद्वान् अपने शोधपूर्ण मौलिक विचार प्रस्तुत करेंगे। इस वर्ष वेदगोष्ठी का विचारणीय बिन्दु है- **वेद वर्णित ईश्वर-स्वरूप एवं नाम (ईश्वर के गुण, कर्म, स्वभाव)।** जो विद्वान् गोष्ठी में शोधपत्र प्रेषित करना चाहते हैं, वे १० अक्टूबर तक सभा के पते पर प्रेषित करवा देवें। १, २, ३ नवम्बर को ऋषि बलिदान समारोह के कार्यक्रमों के साथ-साथ वेदगोष्ठी भी चलती रहेगी। ऋषि-भक्त इसे सुनने का लाभ उठा सकते हैं।

चतुर्वेद कण्ठस्थीकरण प्रतियोगिता- प्रतिवर्ष आयोजित की जाने वाली इस प्रतियोगिता में २१ वर्ष तक के छात्र भाग ले सकते हैं। किसी भी वेद को आद्योपान्त स्मरण करके इस प्रतियोगिता में भाग लिया जा सकता है। जो छात्र जिस वेद पर गत वर्षों में पारितोषिक ग्रहण कर चुके हैं, वे उस वेद से अतिरिक्त वेद स्मरण करके भाग ले सकते हैं। २ नवम्बर को परीक्षा एवं ३ नवम्बर को पुरस्कार-वितरण का कार्यक्रम होगा। जो छात्र इस प्रतियोगिता में भाग लेना चाहते हैं, वे अपने-अपने गुरुकुलों, आश्रमों, संस्थानों से आचार्य द्वारा अधिकृत पत्रक पर २-छायाचित्र सहित अपना परिचय १० अक्टूबर, २०१९ तक आचार्य महर्षि दयानन्द आर्ष गुरुकुल, ऋषि उद्यान, अजमेर के पते पर भेज दें।

सम्मान - प्रतिवर्ष विशिष्ट वैदिक विद्वान्, विदुषियों एवं कार्यकर्त्ताओं को इस समारोह में सम्मानित किया जाता है। इस वर्ष भी सम्मान -समारोह होगा। जिसमें अनेक विद्वान्-विदुषियों एवं कार्यकर्त्ताओं को सम्मानित किया जायेगा।

नवम्बर के आरम्भ में अजमेर में हल्की ठंड होने लगती हैं, ऋषि उद्यान खुले में होने से सर्दी का प्रभाव कुछ अधिक रहेगा। रात्रि में कम्बल ओढ़ने जैसी ठण्ड रहेगी। जो समूह में रहना चाहते हैं उनकी निवास व्यवस्था ऋषि उद्यान में होगी और जो अपने निवास की व्यवस्था होटल-धर्मशाला में करवाना चाहते हैं, कृपया वे सभा कार्यालय से पूर्व सम्पर्क कर अग्रिम राशि जमा करवा कर कमरा आरक्षित करवा लें। सभी से विशेष निवेदन है कि अपने आने की सूचना कम से कम एक सप्ताह पूर्व दे देवें, जिससे संख्या का अनुमान होकर तदनुसार व्यवस्था की जा सके। सभी से निवेदन है कि १३६वें बलिदान समारोह में अपने परिवार व समाज के सभी कार्यकर्त्ताओं सहित पधार कर महर्षि को हार्दिक श्रद्धांजलि प्रदान करें, महर्षि दयानन्द के स्वप्न को साकार करने हेतु प्रेरणा उत्साह प्राप्त कर प्रचार-प्रसार को एक नई चेतना प्रदान करें।

ऋषि मेले में आमन्त्रित विद्वान् एवं विशिष्ट अतिथि- स्वामी धर्मेश्वरानन्द सरस्वती-मन्त्री आर्य प्रतिनिधि सभा, उ.प्र., प्रा. राजेन्द्र जिज्ञासु-अबोहर, श्री सुरेश अग्रवाल-प्रधान सार्वदेशिक सभा, प्रो. सुरेन्द्र कुमार-पूर्व कुलपति, गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय, हरिद्वार, श्री तपेन्द्र वेदालंकार-(रि. आई.ए.एस.) जयपुर, आचार्य सत्यानन्द वेदवागीश, आचार्य विरजानन्द दैवकरणि-झज्जर, श्री दीनदयाल गुप्त-कोलकाता, श्री शत्रुघ्न आर्य-राँची, श्री सत्यानन्द आर्य-दिल्ली, डॉ. राजेन्द्र विद्यालंकार-कुरुक्षेत्र, प्रो. महावीर अग्रवाल-पूर्व कुलपति, उत्तराखण्ड संस्कृत विश्वविद्यालय, प्रो. कमलेश चौकसी-अहमदाबाद, डॉ. रामप्रकाश वर्णी-एटा, डॉ. ब्रह्ममुनि-महाराष्ट्र, श्री जगदीश शर्मा-जयपुर, श्री शिवकुमार चौधरी-इन्दौर, श्री जयदेव आर्य-राजकोट, श्री ठा. विक्रमसिंह-दिल्ली, श्री प्रियव्रतदास एवं श्रीमती शन्नो देवी-भुवनेश्वर, आचार्य विजयपाल-झज्जर, श्री सज्जनसिंह कोठारी-पूर्व लोकायुक्त जयपुर, श्री विजयसिंह भाटी-जोधपुर, श्री इन्द्रजित् देव-यमुनानगर, आचार्य विद्यादेव, आचार्य घनश्यामसिंह, डॉ. प्रशस्यमित्र शास्त्री- रायबरेली, डॉ. रघुवीर वेदालंकार-दिल्ली, स्वामी ऋतस्पति-होशंगाबाद, आचार्या सूर्या देवी-शिवगंज, आचार्या धारणा 'याज्ञिकी', आचार्य ओम्प्रकाश-आबूपर्वत, मा. रामपाल आर्य-प्रधान आ.प्र.स. हरियाणा, डॉ. महावीर मीमांसक-दिल्ली, श्री विजय शर्मा- भीलवाड़ा, डॉ. जगदेव-रोहतक, पं. रामनिवास गुणग्राहक-श्रीगंगानगर, डॉ. कृष्णपाल सिंह-जयपुर, डॉ. मुमुक्षु आर्य-नोएडा, पं. सत्यपाल पथिक, पं. भूपेन्द्र सिंह आदि।

इस समारोह हेतु आपका आर्थिक सहयोग आयकर की धारा '८०-जी' के अन्तर्गत दिए गये प्रावधान के अनुरूप कर मुक्त होगा। विदेश में निवास कर रहे धर्मप्रेमी सज्जन स्वदेश में होने वाले इस समारोह हेतु मुक्त हस्त से दान देकर देश का गौरव बढ़ाएँ। सभा को भारतीय शासन द्वारा विदेशों से दानस्वरूप दी गई राशि को प्राप्त करने की छूट प्राप्त है। आपका सहयोग ही हमारा सम्बल है। शुभकामनाओं सहित।

डॉ. वेदपाल — **कन्हैयालाल आर्य**
प्रधान — **मन्त्री**

ओ३म्

परोपकारिणी सभा

दयानन्द आश्रम, केसरगंज, अजमेर (राज.) पिन. ३०५००१ दूरभाष– ०१४५–२४६०१६४

वेदगोष्ठी–२०१९

विषय– वेद वर्णित ईश्वर–स्वरूप एवं नाम (ईश्वर के गुण, कर्म, स्वभाव)

मान्यवर सादर नमस्ते।

आशा करता हूँ कि आप स्वस्थ सानन्द होंगे। आपको सुविदित है कि सद्भावी विद्वानों के सहयोग से सदा की भांति इस वर्ष भी अन्तर्राष्ट्रीय दयानन्द वेदपीठ, दिल्ली तथा अनुसंधान विभाग परोपकारिणी सभा, अजमेर के संयुक्त तत्त्वावधान में ऋषि मेले के अवसर पर वेदगोष्ठी का आयोजन किया जा रहा है। इस गोष्ठी में देश के अनेक भागों से पधारे प्रख्यात वैदिक विद्वान् निर्धारित विषयों पर अपने शोधपूर्ण विचार प्रस्तुत करते हैं। इनमें से चुने हुए शोध–पत्र परोपकारी व वेदपीठ की शोध–पत्रिका के माध्यम से प्रकाशित किये जाते हैं। जिससे जो लोग गोष्ठी में नहीं आ सकते वे भी लाभान्वित होते हैं। विद्वानों को भी इस विषय पर अधिक विचार करने का अवसर मिलता है। गत ३१ वर्षों से गोष्ठी का आयोजन निरन्तर किया जा रहा है। अब तक निम्नलिखित बिन्दुओं पर विचार किया जा चुका हैः–

१. ऋषि दयानन्द की वेदभाष्य शैली।	**१२ नवम्बर, १९८८**
२. वेद और कर्मकाण्डीय विनियोग।	**०५ नवम्बर, १९८९**
३. अथर्ववेद समस्या और समाधान।	**२७ नवम्बर, १९९०**
४. वेद और विदेशी विद्वान्।	**१६ नवम्बर, १९९१**
५. वैदिक आख्यानों का वास्तविक स्वरूप।	**०१ नवम्बर, १९९२**
६. वेदों के दार्शनिक विचार।	**२८ नवम्बर, १९९३**
७. सोम का वैदिक स्वरूप।	**१२ नवम्बर, १९९४**
८. पर्यावरण समस्या का वैदिक समाधान।	**०३ नवम्बर, १९९५**
९. वैदिक समाज व्यवस्था।	**०१ नवम्बर, १९९६**
१०. वेद और राष्ट्र।	**२४ अक्टूबर, १९९७**
११. वेद और विज्ञान।	**०९ अक्टूबर, १९९८**
१२. वेद और ज्योतिष।	**१० नवम्बर, १९९९**
१३. वेद और पदार्थ विज्ञान	**०३ नवम्बर, २०००**
१४. वेद और निरुक्त	**१८ नवम्बर २००१**
१५. वेद में इतिहास नहीं	**०१ नवम्बर २००२**
१६. वेद में कृषि व वनस्पति विज्ञान	**३१ अक्टूबर २००३**
१७. वेद में शिल्प	**१९ नवम्बर २००४**
१८. वेदों में अध्यात्म	**११ नवम्बर, २००५**
१९. वेदों में राजनीतिक चिन्तन	**२७ नवम्बर, २००६**
२०. वेद सब सत्य विद्याओं का पुस्तक है	**१६ नवम्बर, २००७**
२१. वैदिक समाज विज्ञान	**०५ नवम्बर, २००८**
२२. सत्यार्थप्रकाश का ७ वाँ समुल्लास व वेद	**२३ अक्टूबर, २००९**
२३. सत्यार्थप्रकाश का ८ वाँ समुल्लास व वेद	**१२ नवम्बर, २०१०**
२४. सत्यार्थप्रकाश का ९ वाँ समुल्लास व वेद	**०४ नवम्बर, २०११**
२५. महर्षिदयानन्दाभिमत मन्तव्यः वैदिक परिप्रेक्ष्य	**१६ नवम्बर, २०१२**
२६. वेद और सत्यार्थप्रकाश का १२वाँ समुल्लास	**८ नवम्बर, २०१३**
२७. भारतीय मत सम्प्रदाय और वेद	**३१ अक्टू. १,२ नव., २०१४**
२८. भारतीय मत सम्प्रदाय और वेद	**२०,२१,२२ नव., २०१५**
२९. दयानन्द दर्शन की वेदमूलकता	**४,५,६ नव., २०१६**
३०. वेदों में शिक्षा के सिद्धान्त	**२७,२८,२९ अक्टू., २०१७**
३१. षड्दर्शनों की वेदमूलकता और महर्षि दयानन्द	**१६,१७,१८ नवम्बर., २०१८**

वेदगोष्ठी के विषय-२०१९

०१. ईश्वर के मुख्य निज नाम 'ओ३म्' तथा अन्य गौण नामों का वैशिष्ट्य और महत्त्व।
०२. महाव्याहृतियों (भूः, भुवः, स्वः) के आलोक में ईश्वर के स्वरूप की विवेचना।
०३. ईश्वर के सच्चिदानन्दस्वरूप की विवेचना।
०४. ईश्वर की 'सर्वशक्तिमत्ता' की विवेचना।
०५. ईश्वर के गुणों (निराकारत्व, दयालुता, न्यायकारित्व इत्यादि) का विवेचन।
०६. ईश्वर का कर्तृत्व-विवेचन।
०७. वेदों का उत्पत्तिकर्त्ता परमेश्वर (शास्त्रयोनित्वात्)
०८. ज्ञान-विज्ञान का जनानेहारा आद्यगुरु परमेश्वर (स एष पूर्वेषामपि गुरु...)
०९. ईश्वर की सगुण-निर्गुणता का स्वरूप।
१०. प्रकृति व जीव से परमात्मा से पार्थ क्या।
११. भूत-भविष्य-वर्तमान का ज्ञाता परमेश्वर।
१२. ईश्वर की प्रतिमा, साकारत्व, अवतार इत्यादि की निषधक श्रुतिभेद की विवेचना।
१३. 'पुरुषसूक्त' में ईश्वर का स्वरूप।
१४. 'ईश्वरसिद्धि' की विवेचना।
१५. ईश्वर की महिमा, कर्म और स्वभाग।
१६. ईश्वर-प्राप्ति अर्थात् वेदोक्त ईश्वरोपासना।
१७. ईश्वर-प्राप्ति के उपाय/मार्ग-ज्ञान, कर्म, उपासना इत्यादि की विवेचना।

महत्त्वपूर्ण सूचना

योग-साधना एवं स्वाध्याय शिविर की तिथियों में परिवर्तन किया गया है। अब यह शिविर १५ से २२ सितम्बर २०१९ को आयोजित होगा।

ऋषि मेला २०१९ हेतु स्टॉल आवंटन

प्रति वर्ष की भांति इस वर्ष ऋषि मेला १, २, ३ नवम्बर शुक्र, शनि, रविवार २०१९ को ऋषि उद्यान में आयोजित होगा। उसमें आर्य जगत् का साहित्य, हवन सामग्री, अन्यान्य सामग्री की स्टॉल लगती हैं। प्रति स्टॉल किराया १००० रु. निर्धारित है। जिसकी राशि पहले जमा होगी उसी क्रम से स्टॉल का आवंटन होगा। जिन महानुभावों को जितनी स्टॉल की आवश्यकता है, उसी अनुरूप राशि बैंक ड्राफ्ट द्वारा या नकद जमा करावें।

स्टॉल सुविधाः- कारपेट, दो टेबल, दो कुर्सी, २ ट्यूब लाइट प्रति स्टॉल। **स्टॉल साइज**- ७.५×१५ फीट।

ध्यातव्य- **१.** स्टॉल में रखी टेबल, कुर्सी आदि पूर्व निर्धारित सामग्री को इधर-उधर या अन्य स्टॉल में न बदलें। **२.** अतिरिक्त सामग्री की आवश्यकता हो तो टैन्ट हाउस के कर्मचारी से सम्पर्क कर प्राप्त करें तथा निर्धारित राशि तुरन्त भुगतान करें। **३.** बिस्तर, रजाई, चादर, तकिया को टेन्ट हाउस कर्मचारी से प्राप्त कर निर्धारित राशि जमा करा दें। **४.** स्टॉल व्यवस्थापक से स्टॉल संख्या, राशि की रसीद दिखाकर प्राप्त करें। बिना पूर्व अनुमति के स्टॉल में सामान न रखें, न अधिकृत करें। **५.** आपके सक्रिय सहयोग व अनुशासन की अपेक्षा है। अनियमितता को स्थान न देवें। ६. अपना मोबाइल (चलभाष) नवम्बर देना अति आवश्यक है। ७. आप अपना स्थाई पता अवश्य देवें। ८. स्टॉल में आप पुस्तकें/दवाइयाँ/अन्य सामग्री का उल्लेख अवश्य करें। ९. स्टॉल आवंटन हेतु अग्रिम राशि जमा करावें, अन्यथा विचार सम्भव नहीं होगा। १०. एक पासपोर्ट फोटो भिजवावें, जो परिचय पत्र के साथ अंकित हो। उसमें स्टॉल आवंटन संख्या भी अंकित किया जाएगा। ११. स्टॉल आवंटन की सूचना निर्धारित अवधि में दी जायेगी। **नोटः**- किसी प्रकार का अवैदिक साहित्य एवं सामग्री न हो अन्यथा उचित कार्यवाही सम्भव होगी।

'सत्यार्थ प्रकाश' प्रचार महायज्ञ में आपकी आहुति

महर्षि दयानन्द सरस्वती का अमर ग्रन्थ 'सत्यार्थप्रकाश' आर्यों का ब्रह्मास्त्र है। ऐसा ब्रह्मास्त्र, जिसने अविवेक, पाखण्ड, अन्धविश्वासों का दमन कर समाज में एक नई क्रान्ति 'वैचारिक क्रान्ति' को जन्म दिया। अन्धश्रद्धा, अविवेक और पाखण्ड मानव समाज में सहज ही पनपने वाली समस्या है, इसलिये प्रत्येक काल, प्रत्येक स्थान और प्रत्येक परिस्थिति में इन समस्याओं के उन्मूलन की आवश्यकता है-अत: 'सत्यार्थ प्रकाश' की आवश्यकता भी सदैव ही अनिवार्य रहेगी, परन्तु यह विचार जन-जन तक पहुँचे, तो ही लाभकारी होगा। इसी को ध्यान में रखते हुए परोपकारिणी सभा ने ६ वर्ष पूर्व 'विश्व पुस्तक मेला' दिल्ली में प्रतिवर्ष 'सत्यार्थप्रकाश' के साथ 'महर्षि का जीवन-चरित्र' एवं 'आर्याभिविनय' पुस्तक का नि:शुल्क वितरण करने की योजना बनाई, जो निरन्तर चल रही है। इस कार्य के परिणाम भी बहुत सुखद रूप में सामने आये हैं। पुस्तक में कई व्यक्ति आकर कहते हैं कि हमारे पास यह पुस्तक है, हम पिछले वर्ष ले गये थे।

प्रत्येक आर्यमात्र की यह इच्छा होगी कि वह भी इस ग्रन्थ को वितरित कर पुण्य का भागी बने। इसके लिये सभा प्रत्येक आर्य को इस महायज्ञ में सम्मिलित करना चाहती है। प्रत्येक व्यक्ति यज्ञ में अपनी आहुति दे तो यज्ञ और अधिक भव्य एवं विस्तृत हो जाता है। 'सत्यार्थप्रकाश' के नि:शुल्क वितरण रूपी यज्ञ में अपनी आहुति देने के लिये आप अपने सामर्थ्यानुसार सहयोग दे सकते हैं। परोपकारिणी सभा की ओर से प्रकाशित सत्यार्थप्रकाश बड़े अक्षरों में, बढ़िया कागज पर, सजिल्द छापी जाती है, जिससे नये व्यक्ति के लिये भी पुस्तक संग्रहणीय बन जाती है। इस पुस्तक की छपाई में एक प्रति का खर्च लगभग १०० रु. आता है। **यदि कोई व्यक्ति अपनी सात्त्विक भावना से केवल २० पुस्तकें (इससे अधिक कितनी भी) ही वितरित करवाना चाहता है, तो सभा उतनी प्रतियों पर दानी व्यक्ति का नाम छपवाकर वितरित करेगी। इसी प्रकार ३०, ५०, १०० आदि।**

१०० रु. प्रति के अनुसार आप दान देकर अपनी ओर से, अपने नाम से पुस्तक वितरित करा सकते हैं। आहुतियाँ जितनी अधिक होंगी, यज्ञ का फल भी उतना ही अधिक होगा।

अपने दान के साथ 'सत्यार्थप्रकाश वितरण' अवश्य लिख देवें, और साथ ही अपना नाम एवं पता भी। यह दान आप परोपकारिणी सभा के खाते में ऑनलाइन, चैक द्वारा या फिर परोपकारिणी सभा के पते पर मनिऑर्डर भी कर सकते हैं। यह यज्ञ आपका है, प्रत्येक आर्य का है। अत: प्रत्येक आर्य इसमें अपनी आहुति अवश्य दे।

न्यूनतम	२० प्रतियाँ	२१००/- रु.
	३० प्रतियाँ	३१००/- रु.
	५० प्रतियाँ	५१००/- रु.
	१०० प्रतियाँ	११०००/- रु.

इस प्रकार जितनी अधिक प्रतियाँ बाँटना चाहें, उतनी और दूरभाष संख्या के साथ भेज देवें। दान अक्टूबर माह के अन्त तक भिजवा देवें, ताकि प्रतियों की संख्या निर्धारित करके उन पर दानदाताओं का नाम अंकित किया जा सके। धन्यवाद।

मन्त्री, परोपकारिणी सभा, अजमेर

लेखकों से निवेदन

- लेखक कृपया अपने मौलिक व अप्रकाशित लेख ही भेजें।
- लेखक अपना पूरा पता व चल-दूरभाष संख्या लेख के साथ अवश्य लिखें।
- परोपकारिणी सभा द्वारा रचनाओं के लिए किसी प्रकार का भुगतान नहीं किया जाता है।
- अपनी रचना की एक प्रति कृपया अपने पास रखकर भेजें, क्योंकि अस्वीकृत रचनायें डाक द्वारा लौटायी नहीं जाती हैं।
- रचना के प्रकाशन में छ: माह या अधिक समय भी लग सकता है, अत: कृपया तब तक रचना को अन्यत्र न भेजें।
- स्वीकृत रचना परोपकारी के किसी आगामी अङ्क में देखी जा सकती है। -**संपादक**

वर्णव्यवस्था से सब मनुष्य उन्नति

जिस-जिस पुरुष में जिस-जिस वर्ण के गुण कर्म हों उस-उस वर्ण

चक्रव्यूह

अंकित 'प्रभाकर'

भारत का इतिहास और भूगोल भारत की समृद्धि को बताने के लिये पर्याप्त है। जिस भारत की सीमाओं में कभी वर्तमान के बीसियों देश समाहित थे, उस भारत के वैभव से भला कौन अपरिचित रहा होगा। विश्व की आक्रामक, क्रूर और स्वार्थलिप्सा से सराबोर विध्वंसक जातियों की गिद्ध दृष्टि सदैव ही इस भूभाग पर रही है। इसी सम्पन्नता ने आक्रान्ताओं को आकर्षित किया। राजनैतिक एकता के अभाव और समाज के बिगड़े ढाँचे ने आक्रान्ताओं के रास्ते को आसान बना दिया। परिणाम के रूप में भारत की वीरप्रसूता धरा को कई सौ वर्षों की गुलामी का श्राप मिला। भारत के पैरों में पड़ी बेड़ियों का दूसरा छोर पहले इस्लाम के हाथ में था। इस्लाम कमजोर हुआ तो वह डोर ईसाई (अंग्रेज) के हाथ में आ गई। पर अंग्रेज इस डोर को अधिक समय तक सम्भाल नहीं सका और उसने भारत के पैरों की बेड़ियाँ खोलने की बजाय उसका सिरा ऐसे भारतीयों के हाथों में सौंपा जो अंग्रेजों के ही मानसपुत्र थे।

भारतीयों को लगा कि वे आजाद हो चुके हैं, पर वे यह समझ ही नहीं पाये कि बेड़ियाँ अभी भी पैरों में पड़ी हैं, उन्हें जब चाहे खींचा जा सकता है। भारत की स्थिति लगाम लगे घोड़े जैसी थी, जो अस्तबल से रिहा तो कर दिया गया, पर घुड़सवारी की शर्त पर। अब उसे दौड़ने की खुली आजादी थी, पर जिधर उसकी लगाम खींची जाये उधर ही। उसकी स्वतन्त्रता भी मालिक की सवारी के लिये ही थी। तत्कालीन सत्ता ने भारत और अंग्रेजों के बीच लगाम का काम किया।

भारत को लूटने का सपना शक, हूण, इस्लाम सबने देखा, पर कोई भी यहाँ अपना तन्त्र स्थापित नहीं कर पाया, भारत की गौरवमयी संस्कृति, उसके घमण्ड को नहीं तोड़ पाया। कुछ सत्तालोलुप, धन के लालची और डरपोक चाटुकारों को छोड़कर भारतीय जनमानस ने इन आक्रान्ताओं को कभी अपने से बेहतर नहीं माना, बल्कि इसके विपरीत उन्हें निकृष्ट मानकर उन्हें अछूत का दर्जा दिया। उनके छू लेने पर, साथ बैठने, खाने पर व्यक्ति को पतित समझा जाता था। ऐसे में वे केवल शासन के बल पर राज कर रहे थे, परन्तु सामाजिक दृष्टि से भारत से ऊँचे तो क्या बराबरी तक नहीं कर पाये।

अंग्रेजों ने अपना गणित इससे बिल्कुल उलट कर लगाया। उन्होंने भारत की भारतीयता के गर्व पर प्रहार किया। लगातार ये महसूस कराया कि भारतीय गँवार हैं, मूर्ख हैं, पाखण्डी हैं, असभ्य हैं, गन्दे हैं, उनकी जीवनशैली निम्नतम है, और अंग्रेज बुद्धिमान्, शिष्ट, सभ्य, उच्च जीवन-शैली वाले हैं। इस विचार को भारतीयों के दिमाग में जड़ें जमाने में कुछ बाधाएँ थीं जिनमें यहाँ की शिक्षा-प्रणाली का सबसे बड़ा योगदान था। गुरुकुलीय शिक्षा भारत के अतीत के गौरव का स्मरण कराकर अपने देश को अपनी तरह से विकसित करने के भाव भर रही थी। अंग्रेज ने इस पर वार किया और परिणाम ये हुआ कि भारतीय में जो भी गर्व करने लायक था, वह सब हाशिये पर चला गया। आयुर्वेद को सरकारी तन्त्र से बाहर निकाल फेंका गया। ज्योतिष विद्या के 'फलित' पक्ष को ही प्रचारित किया गया ताकि शुद्ध गणित-ज्योतिष से लोगों को अछूता रखा जा सके। पहले संस्कृत फिर धीरे-धीरे हिन्दी भी राष्ट्रीय परिदृश्य से बाहर कर दी गई।

शिक्षा के नाम पर ऐसे लोगों को तैयार किया गया, जो ब्रिटेन की संस्कृति, वहाँ के पहनावे, वहाँ की भाषा और अन्त में वहाँ के लोगों को ही अपना माई-बाप समझें और इस कार्य में वे सफल भी हुए। मगर अभी सबके अन्दर का जमीर नहीं मरा था, सबने अपनी आत्मा को गिरवी नहीं रखा था, सबने अंग्रेजों के तलवों तले अपना विवेक नहीं रखा था। कुछ थे जिनमें आत्मानुभूति थी, स्वत्व पर गर्व था, जो मस्तक उठाकर चलते थे, ऐसे लोगों ने क्रान्तिकारियों का रूप लिया। उनके डर से अंग्रेज ने भारत तो छोड़ा पर अपने भारत पर अपना अधिकार बनाये रखने के लिये अपने मानसपुत्रों को चुना और इस तरह लगा कि ''मिल गई आजादी।''

मगर वास्तविकता कुछ और थी। भारत अभी भी उनकी गिरफ्त में था, कैसे? भ्रम में हैं वे लोग जो सोचते हैं कि आदमी के हटते ही शासन हट जाता है। शासन चलता है नियमों से, कानून से, राजनयिकों की विचारधारा से, सोच से और ये सारे ही अंग्रेजी थे। कानून से लेकर भाषा तक, कपड़े से लेकर दिमाग तक, गिनती से कैलेण्डर तक सब अंग्रेजी। तो राज किसका हुआ? अंग्रेज का। यह सार्वभौमिक नियम है कि शासन करने के लिये आदमी से उसकी सम्पत्ति छीनना सबसे जरूरी है। जब तक कोई व्यक्ति स्वयं में समर्थ है, तब तक वह दूसरे का शासन स्वीकार नहीं करेगा। डॉ. धर्मवीर के ये शब्द बिल्कुल सटीक हैं, ''अगर किसी को गुलाम बनाना है तो उसकी जेब से पैसा और खोपड़ी से अक्ल निकाल लो।'' कुल

शील होते हैं

र्ग का अधिकार देना, ऐसी व्यवस्था रखने से

मिलाकर सीधे शब्दों में कहें तो कोई भी व्यक्ति जिसके पास अपना कुछ ना हो, भले ही कितना ही साधन-सम्पन्न हो, परन्तु वह साधन जिसने दिये हैं, उसके अधीन ही रहता है। स्वतन्त्रता के बाद कुछ ने इस अधीनता को ही अपनी सम्पत्ति माना और अंग्रेज को अपना आक़ा, क्योंकि इससे उसे टुकड़ा मिलता था, इसीलिये नेहरू लिखते हैं कि भारत हजारों सालों से गरीब देश रहा है, भला हो अंग्रेजों का कि उन्होंने यहाँ आकर भारत को जीना सिखाया। स्वतन्त्र भारत के प्रधानमन्त्री मनमोहन सिंह इसी वाक्य को इंग्लैण्ड जाकर दोहराते हैं, भारत का वित्तमन्त्री पी. चिदम्बरम कहता है कि माई बाप! आप हमारे देश आये, हमें लूटा, मैं आपको आमन्त्रित करता हूँ कि आप फिर आयें और भारत को लूटें। पूरी मेहनत और निष्ठा से इन दासों ने अपनी दुम मालिक के सामने हिलाई।

इंग्लैण्ड के लिये भारत एक उपनिवेश था। इंग्लैण्ड में औद्योगिक क्रान्ति के बाद उसे अपने देश में बने सामान के लिये बाजार की तलाश थी, जो उसे भारत के रूप में मिला। भारत को छोड़ते समय उन्होंने पूरी व्यवस्था की, जिससे भारत पर नियन्त्रण रहे। उसके लिये जरूरी था भारत के लोगों को उनकी मौलिक चीजों से हटाना ताकि भाषा से व्यापार तक सबके लिये हम अंग्रेजों के मुँह को ताकते रहें। इसके लिये भारत का संविधान भी अंग्रेजों का, नेता भी अंग्रेजों के, शिक्षा भी अंग्रेजों की, चिकित्सा अंग्रेजों की, खाना, कपड़े सब अंग्रेजों का, पर हम समझते रहे कि हम आजाद हैं।

स्वतन्त्र भारत में जब भी, जिसने भी भारत के लिये कुछ करने, भारतीय सांस्कृतिक विरासत को उन्नत करने और विदेशी सांस्कृतिक दासता से निकालने की सोची, वह रहस्यमय तरीके से मार दिया गया। महान् वैज्ञानिक भाभा और श्री लालबहादुर शास्त्री इसी की भेंट चढ़ गये। आज भारतीयों में फिर से देशभक्ति की लहर उठी है। इस लहर ने ६ दशकों की सड़ी-गली राजनीति को किनारे कर दिया है, परन्तु इस बार भारतीय मानस केवल जागा ही नहीं है बल्कि सचेत भी हुआ है। वह भारत की खोयी हुई गरिमा को लौटाना चाहता है, वह भारत को राजनैतिक, सांस्कृतिक, औद्योगिक, शैक्षणिक रूप से सबसे आगे ले जाने के सपने देखने लगा है। ये सपने ही अन्तर्राष्ट्रीय ताकतों की नींद हराम कर रहे हैं। अगर भारत स्वाभिमानी बना तो उनका बाजार खत्म हो जायेगा। उनका परोक्ष राज यहाँ खत्म हो जायेगा। उनकी उंगलियों पर नाचने वाले लोग सत्ता से अलग हों, यह उन्हें गँवारा नहीं। अभी तक शिक्षा उनकी, पाठ्यक्रम उनका, मानदण्ड उनका-इसलिये प्रथम स्थान पर भी वही, अब तक कार्यक्षेत्र का चुनाव उनका, व्यक्ति उनके, एजेण्डा उनका, चुनाव उनका-इसलिये सारे पुरस्कार भी उनके। पर अब भारत चाहता है कि सब कुछ उसका अपना हो। वह ऐसा संविधान, ऐसा तन्त्र, ऐसी शिक्षा, ऐसी संस्कृति, ऐसा भोजन, ऐसी समाज व्यवस्था चाहता है, जो भारत के लिये हो, भारत को ध्यान में रखकर बनाई गई हो, किसी विदेशी के द्वारा भारत को लूटने के लिये नहीं। सड़कों पर, भवनों पर, सब जगह भारतीय गौरव का नाम लिखा हो, गुलामी का नहीं। भारत में सब भारत के लिये हो। पर लुटेरी ताकतों को हज़म नहीं हो रहा इसलिये उन्होंने फिर घृणित कोशिश की है भारतीय लोगों को नीचा दिखाने की।

भारत के हिन्दू समाज को नीचा दिखाने के लिये, उनकी सत्ता को हटाने के लिये हर तरफ से हमला किया जा रहा है, न्यूज चैनलों ने अपना पूरा दम लगाकर देख लिया, पर वे इस गौरवरथ को रोक नहीं पाये, वामपन्थी भी एड़ी से चोटी तक का बल लगा रहे हैं। सेक्युलरिज्म के नाम पर साम्राज्य लाना उनका ध्येय है। पर सब नाकाम हुए तो फिल्मों का सहारा लिया जा रहा है।

पिछले दिनों अन्तर्राष्ट्रीय फिल्म वैबसाइट 'नेटफ्लिक्स' ने एक के बाद एक कई वेबसीरीज़ बनाई हैं जिनको देखने से कोई भी समझ सकता है कि इसका उद्देश्य हिन्दू समाज, हिन्दू संस्कृति के प्रति लोगों में घृणा पैदा करना है। पहले तो 'लस्ट स्टोरीज' जिसमें भारतीय युवा को खुलेपन के नाम पर अश्लीलता, अनैतिकता की ओर धकेलने की पूरी व्यवस्था कर दी गई है। दूसरी 'घोल'-इसमें देशभक्ति को एक बीमारी बताया गया है। तीसरी 'लैला'- इसमें हिन्दू समाज के पाखण्डों का सहारा लेकर वैदिक संस्कृति पर हमला, ताकि अगर कोई व्यक्ति 'आर्यावर्त' शब्द भी बोले तो वह लोगों की नजरों में हिंसक क्रूर बन जाये। इस वैबसीरीज़ ने एक भूमिका तैयार की 'सैक्रेड गेम्स' के लिये ताकि लोग पहले से ही ये मान लें कि हिन्दूवादी, वैदिकधर्मियों का प्रभुत्व इस देश के लिये हानिकारक है। और अब 'सैक्रेड गेम्स' का दूसरा भाग-इसके हिसाब से हिन्दू संगठन ही आतंकवादियों से भारत पर हमला कराते हैं। इसमें मुख्य किरदार जो कि एक सिख है, उसे अपना कड़ा उतारकर समुद्र में फेंकते दिखाया गया, क्योंकि यह पाखण्ड है और मुस्लिम किरदार को नमाज के बाद शान्तिवार्ता करते हुए दिखाया गया, क्योंकि वह शान्तिदूत है। सिख समुदाय ने तो विरोध किया पर हिन्दू समाज इस ज़हर का भरपूर रस ले रहा है। इस सीरीज़ में काले को सफेद और सफेद को काला दिखाने की

बहुत ही उम्दा कोशिश की गई है। इसने आतंकवाद जैसे मुद्दे को एक नया रंग दिया है- हिन्दू आतंकवाद का। यही कार्य कुछ सालों पहले काँग्रेस ने भी किया था। अब ये महज एक संयोग तो नहीं हो सकता कि जिस नारे को काँग्रेस जन्म दे, उसे उसी टोन में एक विदेशी कम्पनी प्रस्तुत करे। ये विदेशी ताकतें है, जिनके हाथ में दोगली मीडिया, वामपन्थी, भ्रष्ट पार्टियाँ, तथाकथित सेक्युलर, एन.जी.ओ., विदेशी पुरस्कार प्राप्त दुम हिलाने वाले बुद्धिजीवियों और फिल्म जगत् के देश-द्रोहियों की लगाम है, इसीलिये लगाम खींचते ही सब अपनी जगह खड़े होकर एक ही दिशा में भौंकने लगते हैं।

चक्रव्यूह गहरा है और इसकी पहुँच उससे भी गहरी, पूरा तन्त्र इससे घिरा है, हमारी जागरुकता, सतर्कता और सक्रियता ही इसका तोड़ है। सही समय पर, सही जगह, सही तरीके से उन्हें उन्हीं की भाषा में जवाब देना जरूरी है। मौन शान्ति नहीं कायरता है। जिस मीडिया के बल पर वामपन्थ भारत को खोखला कर रहा था, उसके लिये देशभक्त मीडिया ने सशक्त मोर्चा सम्भाल लिया है। बस यही तरीका है, इन्हें मात देने का। पर अभी 'नेटफ्लिक्स' जैसों से लड़ाई के लिये, मोर्चाबन्दी का अभाव है।

ये सब तो बाहरी ताकतों से लड़ने के लिये है, पर भारतीय समाज को अपने अन्दर की बीमारियों को भी निकालना होगा। वही बीमारियाँ जिनको आगे रखकर भारत की मूल संस्कृति पर वार किया जाता है। पाखण्ड, अन्धविश्वास, रोज पनपते धर्मगुरु, छूत-छात, जात-पांत, दलित-सवर्ण, हजारों करोड़ों भगवान् ये हमारी कमजोरियाँ हैं। ये छेद हैं जो किसी भी विशाल बाँध को कमजोर करते हैं। अगर इस कचरे को समाज से ना निकाला गया तो भले ही आज की लड़ाई जीत ली जाये, समस्या को दबा दिया जाये पर हमला फिर होगा और इन्हीं दुर्बलताओं पर होगा। भारत एक था, सर्वोच्च था, समृद्ध था, स्वाभिमानी था और रहेगा। हमारा पुरुषार्थ, त्याग, शत्रु पर, उसकी कुत्सित योजनाओं पर निरन्तर पैनी दृष्टि इसे अखण्ड बनाये रखेगी।

ऋषि उद्यान, पुष्कर मार्ग, अजमेर

पुस्तक - समीक्षा

पुस्तक का नाम- महर्षि पतञ्जलि-प्रणीत योगदर्शनम्, **आर्यभाषा अनुवादक**- स्वामी श्री विज्ञानाश्रम जी, महर्षि व्यास प्रणीत भाष्य, राजर्षि भोज प्रणीत भोजवृत्ति तथा महर्षि दयानन्द द्वारा (अपने ग्रन्थों में योग सूत्रों की) की गई व्याख्या सहित, **पृष्ठ संख्या**- ४०२, **साइज** २०×३०, **मूल्य**- २५०रु. डाकव्यय सहित, **संस्करण**- तृतीय **प्रकाशक**- स्वामी धर्मानन्द सरस्वती, आर्ष गुरुकुल महाविद्यालय आबू पर्वत, जिला-सिरोही (राज.) पिन- ३०७५०१ (चलभाष-९४१४५८९५१०) उत्तम छपाई तथा पक्का बन्धन (जिल्द) सहित

अत्यन्त दयालु सच्चिदानन्द स्वरूप परमपिता परमात्मा ने अपने अमृत पुत्रों (मानवों) को उनके कल्याण के लिये सब प्रकार का ज्ञान वेदों में दिया है। परमपिता परमात्मा ने वेदों में मानव को शुभ-अशुभ (पाप व पुण्य) प्राप्ति के सब साधन बताये हैं। वहीं उस दयालु दाता ने अपने से मिलने (मोक्षप्राप्ति) के साधनों का भी ज्ञान वेदों में दिया है। उसी ज्ञान के अनुसार सृष्टि के आदि से लेकर महाभारत पर्यन्त हमारे ऋषि मुनियों ने संसार के बनाने वाले व चलाने वाले उस महान् परमपिता परमात्मा का साक्षात्कार कर मोक्ष प्राप्त किया।

लगभग पाँच हजार वर्षों के पश्चात् परमपिता परमात्मा की असीम कृपा से महर्षि दयानन्द सरस्वती का प्रादुर्भाव हुआ, उन्होंने वेद शास्त्र के पुरातन ज्ञान को पुनः मानव मात्र के कल्याणार्थ प्रचारित एवं प्रसारित किया। परमपिता परमात्मा की कृपा से व महर्षि दयानन्द के पुरुषार्थ से जहाँ मानव को सच्चे धर्म का ज्ञान हुआ, वहाँ मोक्षप्राप्ति की इच्छा रखने वाले मुमुक्षुजनों को महर्षि पतञ्जलि के योगशास्त्र का महर्षि व्यास द्वारा किये गये भाष्य के अनुसार योग साधना का सही ज्ञान भी प्राप्त हुआ।

ऋषि अनुयायी श्री स्वामी विज्ञानाश्रम जी महाराज ने इस योगशास्त्र के व्यासभाष्य का व भोजवृत्ति का भाषानुवाद कर प्रकाशन करवाया। बहुत लम्बे समय से पुनः प्रकाशन न होने के कारण योगमार्ग के पथिक जिज्ञासुओं को यह ग्रन्थ प्राप्त नहीं हो रहा था। अतः साधना की इच्छा रखने वाले योगसाधकों को योग विषयक उत्तम ग्रन्थ प्राप्त हो सके, इस पुनीत भावना से इस योगशास्त्र को पुनः प्रकाशित करवाया है। इस ग्रन्थ की विशेषता यह है कि इसको महर्षि व्यास प्रणीत भाष्य, राजर्षि भोज प्रणीत भोजवृत्ति तथा महर्षि दयानन्द द्वारा (अपने ग्रन्थों में योग सूत्रों की) की गई व्याख्या सहित प्रकाशित किया गया है।

आर्ष गुरुकुलों में योगदर्शन के अध्ययन-अध्यापन में भी यह ग्रन्थ अत्यन्त उपयोगी है। योगाभ्यासी जनों को यह ग्रन्थ अवश्य पढ़ना चाहिए। जिससे अष्टांग योग के द्वारा चरम लक्ष्य को प्राप्त कर सकें।

यह योगदर्शन निम्न स्थानों पर उपलब्ध है।

१. आर्ष गुरुकुल महाविद्यालय आबू पर्वत, जिला-सिरोही।

२. वैदिक पुस्तकालय, परोपकारिणी सभा, केसरगंज, अजमेर।

३. श्रीमद् दयानन्द आर्ष गुरुकुल, गौतमनगर, नई दिल्ली।

४. आर्यसमाज मन्दिर, रायपुर दरवाजा, अहमदाबाद।

संस्था - समाचार

उपनयन व वेदारम्भ-संस्कार- भारत एक ऐसा देश है जो पूरे विश्व में अपनी विद्वत्ता, पराक्रम, धार्मिकता, क्षमाशीलता आदि के लिए विख्यात है। हमारा भारतवर्ष ऋषियों की भूमि रही है, जिसमें आदिकाल से ही मनुष्य-जीवन को उत्तम बनाने के लिए संस्कारों की परम्परा चलती आ रही है। महर्षि दयानन्द सरस्वती आर्ष गुरुकुल, अजमेर में संस्कारों की यह परम्परा चलती रहे, जिससे हमारा शारीरिक व आत्मिक विकास होता रहे, इसी दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए १५-०८-२०१९ मंगलवार को आश्रम के सुरम्य वातावरण में आचार्य श्री घनश्याम जी के ब्रह्मत्व में ११ ब्रह्मचारियों का उपनयन एवं वेदारम्भ-संस्कार किया गया। संस्कार के लिए आचार्य पद का निर्वहन आचार्य श्री श्यामलाल जी द्वारा किया गया। ब्रह्मचारीगण- ब्र. मनीष, ब्र. पवनदेव, ब्र. देवेश, ब्र. सोमवीर, ब्र. सुभाष, ब्र. रोहित, ब्र. प्रताप, ब्र. गौतम, ब्र. हरीश, ब्र. नवनीत एवं ब्र. अमित।

एक ओर जहाँ सम्पूर्ण भारतवर्ष स्वतन्त्रता-दिवस, रक्षाबन्धन तथा पवित्र श्रावणी तीनों महापर्वों के शुभ अवसर पर पूर्णतया आनन्दमय होकर झूम रहा था वहीं दूसरी ओर गुरुकुल में भी संस्कारों का एक अलौकिक दृश्य का आनन्द लेने का अवसर उपस्थित आगन्तुकों को प्राप्त हुआ। यज्ञशाला की सजावट भी विवाह मण्डप के समान की गई। चारों ओर लहराते हुए 'ओ३म्' की ध्वजाओं से आश्रम के सुरम्य वातावरण की सुन्दरता में चार चाँद लग गए। हमारे ऋषि-मुनियों द्वारा प्रदत्त उत्तम विधि-विधानानुसार ब्रह्मचारियों को ब्रह्मचर्य की दीक्षा दी गई। ब्रह्मचारियों ने एक दिन पहले केवल दूध पीकर उपवास रखा था।

यज्ञोपवीत के उपरान्त दण्ड, मेखला आदि धारण करवाया गया, गुरुवाणी से पवित्र गायत्री मन्त्र प्रदान किया गया तथा वेदारम्भ संस्कार जिसमें गायत्री मन्त्र से लेकर चारों वेदों के अध्ययन करने के लिए, आचार्य के समीप रहकर २४ विद्याओं और ६४ कलाओं को जानने का प्रयत्न करने के लिए संकल्प लिया गया। पिता के उपदेशों का निर्वहन करते हुए वानप्रस्थी श्री बलेश्वर मुनि जी ने सभी ब्रह्मचारियों को उनके २२ कर्त्तव्यों से अवगत कराया। अन्ततः भिक्षाटन के पश्चात् ब्रह्मचारियों को आशीर्वाद दिया गया। संस्कार समारोह की समाप्ति पर उपस्थित सज्जनों एवं माताओं ने ब्रह्मचारियों को आशीर्वाद प्रदान किया। श्रावणी-पर्व, रक्षाबन्धन एवं स्वतन्त्रता दिवस पर अनेक गीत एवं व्याख्यान आदि प्रस्तुत किये गये। ब्रह्मचारियों ने भी अपनी भावनाएँ एवं व्याख्यानों को संस्कृत तथा आर्यभाषा में सबके समक्ष रखा। पश्चात् आचार्य श्री घनश्याम जी का प्रवचन हुआ। उन्होंने सभी को समारोह की बधाई देते हुए संस्कारों के महत्त्व को बताया एवं सभी को आशीर्वाद प्रदान किया। ऐसा प्रतीत हो रहा था मानों हमारे साथ कुछ बड़ा हुआ है। आचार्य प्रभाकर जी ने इस अवसर पर कहा कि ''आज ब्रह्मचारियों का नया जन्म हुआ है। आज से आप नये जीवन का शुभारम्भ करेंगे और दृढ़ संकल्प के साथ विद्यार्थी जीवन का पालन करेंगे।'' परोपकारिणी सभा की सदस्या माता ज्योत्स्ना 'धर्मवीर' जी के ममतामयी सान्निध्य में यह आयोजन विधिवत सम्पन्न हुआ।

वृष्टि यज्ञ- ऋषि उद्यान में परोपकारिणी सभा के पूर्व प्रधान डॉ. धर्मवीर जी के मार्गदर्शन में जीव सेवा समिति द्वारा २७ वर्षों से लगातार प्रतिवर्ष बिना किसी बाधा के यह यज्ञ किया जाता आ रहा है। इस वर्ष यह यज्ञ २४ जून २०१९ से प्रारम्भ हुआ तथा समापन ११ अगस्त २०१९ को सायंकाल आचार्य श्री 'घनश्याम जी' के ब्रह्मत्व में पूर्णाहुति द्वारा सम्पन्न हुआ। यज्ञ के समापन दिवस पर काफी संख्या में व्यक्तियों ने यज्ञ में अपना योगदान देकर यज्ञ को सफल किया। पूर्णाहुति से पहले आचार्य जी का प्रवचन हुआ साथ ही उनका आशीर्वाद प्राप्त हुआ। सम्पूर्ण क्रियाविधि समापन के पश्चात् जीव सेवा समिति द्वारा सहभोज का भी आयोजन किया गया।

स्वामी प्रवासानन्द जी का जन्म दिवस- स्वामी प्रवासानन्द जी ने अपने ९४ वें जन्मदिन दिनांक २०-०८-२०१९ पर ऋषि उद्यान की पवित्र यज्ञशाला में मुख्य यजमान बनकर यज्ञ सम्पन्न किया। स्वामी जी प्रतिदिन दोनों समय यज्ञ में सम्मिलित होते हैं।

- ब्र. रोहित, ब्र. नीलेश, ब्र. मनीष, ब्र. प्रताप